रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73

REGISTERED No. D. (D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 38] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 22, 1979/भाद्रपद 31, 1901
No. 38] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 22, 1979/BHADRA 31, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 1979

का० आ० 3199.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि फरवरी, 1978 में हुए असाम विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 41-भबानीपुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री ज्ञानेन्द्र चौधरी, ग्राम व पो० भबानीपुर, जिला कामरूप, असाम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे है;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री ज्ञानेन्द्र चौधरी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० आसाम-विस०/41/78(1)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDERS

New Delhi, the 3rd August, 1979

S.O. 3199.—Where the Election Commission is satisfied that Shri Jnanendra Choudhury, Vill. & P. O. Bhabanipur, District Kamrup, Assam a contesting candidate for general election to the Assam Legislative Assembly held in February, 1978, from 41-Bhabanipur constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Jnanendra Choudhury to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. AS-LA/41/78 (1)]

आदेश

का० आ० 3200.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि फरवरी, 1978 में हुए असम विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 41-भबानीपुर सभा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री धरमेश्वर दास, बारपेटा टाऊन, वार्ड नं० 4, पो० बारपेटा, जिला कामरूप (असम), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री धरमेश्वर दास को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० आसाम-वि०स०/41/78(2)]

ORDER

S.O. 3200.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Dharmeswar Das, Barpeta Town, Ward No. 4, P. O., Barpeta, District-Kamrup (Assam) a contesting candidate for general election to the Assam Legislative Assembly held in February, 1978, from 41-Bhabanipur constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even afer due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Dharmeswar Das to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order

[No. AS-LA/41/78 (2)]

आदेश

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1979

का० आ० 3201—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 250-गया शहर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री गिरिधर नारायण, मौल्लला फतेहगंज, गया शहर, जिला गया, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री गिरिधर नारायण को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-वि०स०/250/77(121)]

ORDERS

New Delhi, the 8th August, 1979

S.O. 3201.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Girlwar Narayan, Mohalla Fatehganj, Gaya City, District Gaya, Bihar a contesting candidate for general election to the Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 250-Gaya Town constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Girlwar Narayan to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/250/77 (121)]

आदेश

का० आ० 3202—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 250-गया शहर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री योगेन्द्रसिंह, वार्ड नं० 4, भाग संख्या 8, क्रमांक 134, घर सं० 7, मौहल्ला नई गोदाम गया पोस्ट नई गोदाम, जिला गया, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री योगेन्द्र सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-वि०स०/250/77(122)]

ORDER

S.O. 3202.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Yogendra Singh, Ward No. 4, Part 8, S. No. 134, House No. 7, Mohalla New Godown, Gaya, Post Nai Godown, District Gaya, Bihar a contesting candidate for general election to the Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 250-Gaya Town constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Yogendra Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/250/77 (122)]

आदेश

का० आ० 3203—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 250-गया शहर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रमा शंकर सिंह, मामपुर, मुखी टोला, पो० बुनियादगंज, गया जिला

गया, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमो द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने मे असफल रहे है;

और यत: उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नही है;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री रमाशंकर सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-वि०स०/250/77(123)]

ORDER

S.O. 3203.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ramashankar Singh, Manpur, Surhi Tola, P. O. Buniadganj, Gaya, Distt. Gaya, Bihar, a contesting candidate for general election to the Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 250-Gaya Town constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ramashankar Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order

[No. BR-LA/250/77 (123)]

आदेश

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 1979

का० आ० 3204.—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 189-सिकन्दरा (अ० जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री इन्द्र देव दास, ग्राम-पचालय पाटम, जिला मुंगेर, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमो द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है,

और, यत:, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री इन्द्र देव दास को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-वि०स०/189/77(124)]

ORDER

New Delhi, the 9th August, 1979

S.O. 3204.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Indra Deo Das, Village-Post Patam, District Monghyr, Bihar, a contesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 189-Sikandra (SC) constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Indra Deo Das to be disqualified for being chosen as, and for being, member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/189/77 (124)]

आदेश

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1979

का० आ० 3205.—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 212-निजामाबाद सभा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अ० कयूम, ग्राम क्यामुद्दीन पट्टी पोस्ट बडहारिया, जिला आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमो द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है;

और यत: उक्त उम्मीदवार ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण मे निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री अ० कयूम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि०स०/212/77(50)]

ORDER

New Delhi, the 21st August, 1979

S.O. 3205.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri A. Qayum, village Qamamuddinpatti, P. O. Badhariya, Azamgarh (Uttar Pradesh), a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in June, 1977 from 212-Nizambad constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri A. Qayum to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/212/77 (50)]

आदेश

का० आ० 3206.—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 212-निजामाबाद सभा निर्वाचन-क्षेत्र मे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री जमालुद्दीन, ग्राम क्यामुद्दीन पट्टी, पोस्ट बडहारिया, जिला आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमो द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने मे असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री जमालुद्दीन को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/212/77/(51)]

ORDER

S.O. 3206.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Jamaluddin, village Qayamuddinpatti, P. O. Badhariya, District Azamgarh (Uttar Pradesh) a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in June, 1977 from 212-Nizamabad constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satified that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Jamaluddin to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/212/77 (51)]

आदेश

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1979

का० आ० 3207.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 285-झरिया निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल, पो० झरिया, जिला धनबाद, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-वि०स०/285/77(125)]

ORDER

New Delhi, the 22nd August, 1979

S.O. 3207.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Rajendra Prasad Agrawal, P.O. Jharia, District Dhanbad, Bihar, a contesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly held in June 1977 from 285-Jharia constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure·

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Rajendra Prasad Agrawal to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/285/77 (125)]

आदेश

का० आ० 3208.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 285-झरिया निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम जनम सिंह, ग्राम व पो० जेलगोरा, जिला धनबाद, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राम जनम सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-वि०स०/285/77(126)]

ORDER

S.O. 3208.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Janam Singh, Village-Post Zailgora, District Dhanbad, Bihar, a contesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 285-Jharia constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Janam Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/285/77 (126)]

आदेश

का० आ० 3209.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 285-झरिया निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम प्रसाद सिंह, पाथरडीह, ईद गाह मुहल्ला, पो० पाथरडीह, जिला धनबाद, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राम प्रसाद सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-वि०स०/285/77(127)]

ORDER

S.O. 3209.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Prasad Singh, Pathardeeh Idgah, Mohalla P.O. Pathardeeh, District Dhanbad, Bihar a contesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly, held in June, 1977 from 285-Jharia constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all/as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Prasad Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/285/77(127)]

आदेश

का० आ० 3210.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 66-शिवहर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अशोक कुंवर, ग्राम अम्बाकला, राजपूत टोला, पो० आ० अम्बाकला, जिला सीतामढ़ी, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री अशोक कुंवर को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-वि०स०/66/77(128)]

ORDER

S.O. 3210.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ashok Kunwar, Village Ambakala Rajput Tola, P.O. Ambakala, District Sitamarhi, Bihar a contesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 66-Sheohar constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all/as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ashok Kunwar to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/66/77(128)]

आदेश

का० आ० 3211.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 66-शिवहर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मो० जमील अख्तर, ग्राम वसहीया शेख गढ़वा टोला, पो० पिपराढ़ी, जिला सीतामढ़ी, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग को यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मो० जमील अख्तर को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-वि०स०/66/77(129)]

ORDER

S.O. 3211.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mohd. Jamil Akhtar, Village Washeeya Sheikh Garhwa-Tola, P. O. Piprarhi, District Sitamarhi, Bihar a contesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 66-Sheohar constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Mohd. Jamil Akhtar to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/66/77(129)]

आदेश

का० आ० 3212.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून 1977 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 208-घोसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री दूधनाथ, ग्राम नदवलसरफ पोस्ट घोसी, जिला आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री दूधनाथ को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि०स०/208/77(53)]

ORDER

S.O. 3212.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Doodhnath, village Nadwal Sarfu, Post Office Ghosi District Azamgarh (U.P.) a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in June, 1977 from 208-Ghosi constituency has failed to lodge

an account of his election expenses at all/as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Doodhnath to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/208/77(53)]

आदेश

का० आ० 3213.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 208-घोसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री हरनारायन, ग्राम भरौली, पोस्ट जगदीशपुर, जिला आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री हरनारायन को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि०स०/208/77(54)]

ORDER

S.O. 3213.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Harnarain, village, Bharauli, Post Office Jagdishpur, District Azamgarh (Uttar Pradesh) a contesting candidate for general election to Uttar Pradesh Legislative Assembly held in June, 1977 from 208-Ghosi constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all/as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Harnarain to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/208/77(54)]

आदेश

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1979

का० आ० 3214.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 39-मढ़ौरा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री चन्द्रेश्वर राय, ग्राम रामचक, पत्रालय बरदहिया, जिला सारण, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री चन्द्रेश्वर राय को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निर्हित घोषित करता है ।

[सं० बिहार-वि०स०/39/77(130)]

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 1979

S.O. 3214.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Chandreshwar Rai, Village Ramchak, P. O. Bardahia, District Saran, Bihar a contesting candidate for general election to the Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 39-Marhaura constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all/as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Chandreshwar Rai to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/39/77(130)]

आदेश

का० आ० 3215.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 39-मढ़ौरा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री वकील प्रसाद यादव, ग्राम तथा पो० आ० तेजपुरवा, थाना मढ़ौरा, जिला सारण, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री वकील प्रसाद यादव को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि०सं०/39/77(131)]

ORDER

S.O. 3215.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Wakil Prasad Yadav, Village & P. O. Tejpurwa, Thana Marhaura, District Saran, Bihar a contesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly held in June 1977 from 39-Marhaura constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all/as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Wakil Prasad Yadav to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/39/77(131)]

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1979

का०आ० 3216.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, त्रिपुरा सरकार के परामर्श से श्री जे० के० भट्टाचार्य के स्थान पर श्री एच० दास, विधिक परामर्शी तथा सचिव, विधि विभाग, त्रिपुरा सरकार को तारीख, 8 अगस्त, 1979 से अगले आदेशों तक त्रिपुरा राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में एतद्द्वारा नामनिर्देशित करता है।

[सं० 154/त्रिपुरा/79]

New Delhi, the 24th August, 1979

S.O. 3216.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with the Government of Tripura hereby nominates Shri H. Das, Legal Remembrancer and Secretary, Law Department, Government of Tripura, as the Chief Electoral Officer for the State of Tripura with effect from the 8 August, 1979 and until further order vice Shri J. K. Bhattachariya.

[No. 154/TP/79]

आदेश

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1979

का०आ० 3217.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 112-डलमऊ निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अब्दुल सादिक, ग्राम व पोस्ट बहाई, जिला रायबरेली (उत्तर प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री अब्दुल सादिक को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/112/77/(60)]

ORDER

New Delhi, the 27th August, 1979

S.O. 3217.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Abdul Sadiq, village and Post office Bahai, Rae-Barielly (Uttar Pradesh) a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in June, 1977 from 112-Dalmau constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder:

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Abdul Sadiq to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/112/77(60)]

आदेश

का०आ० 3218.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 112-डलमऊ निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री जगन्नाथ प्रसाद ग्राम व पोस्ट दौलतपुर जिला, रायबरेली (उत्तर प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है ;

और यत, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नही है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री जगन्नाथ प्रसाद को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/112/77(61)]

ORDER

S.O. 3218.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Jagannath Prasad, village and Post office Daulatpur, District Rae-Barielly (Uttar Pradesh) a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in June, 1977 from 112-Dalmau constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Jagannath Prasad to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/112/77(61)]

आदेश

का०आ० 3219.—यत, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 127-रामी गंज (अ० जा०) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री नारायण बैठा, ग्राम-पोस्ट मिर्जापुर जिला पूर्णियां, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नही है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री नारायण बैठा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि०स०/127/77(132)]

ORDER

S.O. 3219.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Narain Baitha, Village-Post Mirjapur, District Purnea, Bihar a contesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 127-Raniganj (S.C.) constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Narain Baitha to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No BR-LA/127/77(132)]

आदेश

का०आ० 3220 —यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 127-रानी गंज (अ०जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सहदेव पासवान, ग्राम रानीगंज (बैरबन्ना), पो० मेरीगंज, जिला पूर्णिया, बिहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सहदेव पासवान को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं०बिहार-वि०स०/127/77(133)]

ORDER

S.O. 3220.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Sahdeo Paswan, Village Raniganj (Bairbanna), P.O. Meriganj, District Purnea, Bihar a contesting candidate for general election to Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 127-Raniganj (SC) constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Sahdeo Paswan to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order

[No BR-LA/127/77(133)]

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1979

का०आ० 3221 —लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, उड़ीसा सरकार के परामर्श से श्री लक्ष्मीधर मिश्रा के स्थान पर श्री एस०एम० पटनायक, आई०ए०एस०, सरकार के अतिरिक्त सचिव, गृह विभाग को तारीख 16 जून, 1979 से अगले आदेशों तक उड़ीसा राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में एतद्द्वारा नामनिर्देशित करता है।

[सं० 154/उड़ीसा/79(i)]

New Delhi, the 28th August, 1979

S.O. 3221.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with the Government of Orissa hereby nominates Shri S. M. Patnaik, IAS, Additional Secretary to Government, Home Department, as the Chief Electoral Officer for the State of Orissa with effect from the 16th June, 1979 and until further orders vice Shri Laxmidhar Mishra.

[No 154/OR/79(i)]

का०आ० 3222 —लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, उड़ीसा सरकार के परामर्श से श्री एम० एम० पटनायक के स्थान पर श्री पी० के० पटनायक, आई०ए०एस०, सरकार के सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को उनके कार्यभार सम्भालने की तारीख से अगले आदेशों तक उड़ीसा राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में एतद्द्वारा नामनिर्देशित करता है।

[सं० 154/उड़ीसा/79(ii)]

S.O. 3222.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with the Government of Orissa hereby nominates Shri P. K. Patnaik, IAS, Secretary to Government, Health and Family Welfare Department, as the Chief Electoral Officer for the State of Orissa with effect from the date he takes over charge and until further orders vice Shri S M Patnaik.

[No 154/OR/79(ii)]

आदेश

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1979

का०आ० 3223 —यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून 1977 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 401-आगपन निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री ईश्वर, मन्डी आनन्दगंज, बड़ौत, मेरठ, उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री ईश्वर को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि० स०/401/77(63)]

ORDER

New Delhi, the 30th August, 1979

S.O. 3223.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ishwar, Mandi Anand Ganj, Daraut, Meerut, Uttar Pradesh, a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in June, 1977 from 401-Bagpat constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ishwar to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/401/77(63)]

आदेश

का०आ० 3224—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 402-बरनावा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री जितेन्द्र सिंह, ग्राम व डाकखाना निरपुडा, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री जितेंद्र सिंह, को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/402/77(64)]

ORDER

S.O. 3224.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Jitendra Singh, village and Post Nirpuda, District Meerut, Uttar Pradesh, a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in June, 1977 from 402-Barnawa constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Jitendra Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/402/77(64)]

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1979

का०आ० 3225—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए; भारत निर्वाचन आयोग, पश्चिमी बंगाल सरकार के परामर्श से श्री रथिन्द्र नाथ सेनगुप्ता के स्थान पर श्री ए० सैन, आई०ए०एस०, सचिव गृह (संविधान और निर्वाचन) विभाग को तारीख 7 दिसम्बर, 1979 से अगले आदेशों तक पश्चिमी बंगाल राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में एतद्द्वारा नामनिर्देशित करता है।

[सं० 154/प०बं०/79]

New Delhi, the 31st August, 1979

S.O. 3225.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with the Government of West Bengal hereby nominates Shri A. Sen, IAS, Secretary, Home (Constitution and Elections) Department as the Chief Electoral Officer for the State of West Bengal with effect from 1st September, 1979 and until further orders vice Shri Rathindra Nath Sengupta.

[No. 154/WB/79]

का० आ० 3226—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13क की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ; भारत निर्वाचन आयोग लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के परामर्श से श्री एन० बी० चावला के स्थान पर श्री पी० एम० नैयर, प्रशासक को उनके कार्यभार संभालने की तारीख से अगले आदेशों तक लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन आफिसर के रूप में एतद्द्वारा नामनिर्देशित करता है।

[सं० 154/लक्षद्वीप/79]
वी० नागसुब्रमण्यन, सचिव

S.O. 3226.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with the Administration of the Union Territory of Lakshadweep hereby nominates Shri P. M. Nair, Administrator, as the Chief Electoral Officer for the Union Territory of Lakshadweep with effect from the date he takes over charge and until further orders vice Shri N. B. Chawla.

[No. 154/LKD/79]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1979

का०आ० 3227—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए हिमाचल प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 42-राजगीर (अ० जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री गुरपाल सिंह, ग्राम व डाकघर पालमपुर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री गुरपाल सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० हि० प्र०-वि०स०/42/77(5)]

ORDER

New Delhi, the 22 August, 1979

S.O. 3227.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Gurpal Singh, Village and P. O. Palampur, Tehsil Palampur, District Kangra (Himachal Pradesh), a contesting candidate for general election to the Himachal Pradesh Legislative Assembly held in June, 1977 from 42-Rajgir (SC) constituency, has failed to lodge an account of ihs election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Gurpal Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. HP-LA/42/77(5)]

आदेश

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1979,

का० आ० 3228.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1977 में हुए हरियाणा विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 77-रतिया (अ०जा०) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री भल्ला सुपुत्र श्री दातू राय, गांव व डाकखाना कलहड़ी, तह० टोहाना, जिला हिसार, हरियाणा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं हैं ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री भल्ला को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० हरि०-वि० स०/77/77]

ORDER

New Delhi, the 27th August, 1979

S.O. 3228.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bhalla, Village & Post Office Kanhri, Tehsil Tohana, District Hissar, Haryana a contesting candidate for general election to the Haryana Legislative Assembly held in 1977 from 77-Rattia constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Bhalla to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. HN-LA/77/77]

आदेश

का० आ० 3229.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिए 189-फरेंदा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम जी, ग्राम कल्यानपुर, पोस्ट पीपीगंज, जिला गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राम जी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०वि०स०/189/77(62)]
अ० कु० चटर्जी, अवर सचिव

ORDER

S.O. 3229.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ramji, Village Kalyanpur, Post Office Peepiganj, District Gorakhpur (Uttar Pradesh) a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in June, 1977 from 189-Pharenda constituency, has failed to lodge an account of his election expenses within the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ramji to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/189/77(62)]

A. K. CHATTERJI, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1979

का०आ० 3230.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि फरवरी, 1978 में हुए कर्नाटक विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 118-ननजनगुड निर्वाचिन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री एल० नगप्पा, सं० 99, थम्माडगेरी, ननजनगुड, जिला मैसूर (कर्नाटक) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमो द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययो का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री एल० नगप्पा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कलावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[संख्या कर्नाटक-वि० स०/118/78(12)]

ORDER

New Delhi, the 24th August, 1979

S.O. 3230.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri L. Nagappa, No. 99, Thammadageri, Nanjangud, District Mysore (Karnataka), a contesting candidate for general election to the Karnataka Legislative Assembly held in February, 1978 from 118-Nanjangud assembly constituency, has failed to lodge any account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri L. Nagappa to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. KT-LA/118/78(12)]

आदेश

का०आ० 3231.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1979 में हुए आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 90-निडुमोलु (अ० जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री असीरवादम कोडाली, चल्लापल्ली, दिवी ताल्लुक, कृष्णा जिला (आन्ध्र प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमो द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नही है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री असीरवादम कोडाली को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[संख्या आ०प्र०-वि०स०/90/79/(उप)(46)]

ORDER

S.O. 3231.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Aseervadam Kodali, Challapalli, Divi Taluk, Krishna District (Andhra Pradesh), a contesting candidate for bye-election to the Andhra Pradesh Legislative Assembly held in January, 1979 from 90-Nidumolu (SC) constituency has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he hahs no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Aseervadam Kodali to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. AP-LA/90/79-Bye(46)]

आदेश

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1979

का०आ० 3232.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि फरवरी, 1978 में हुए कर्नाटक विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 80-बिन्नीपेट सभा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अमीत बाशा, सं० 37, कार्ट स्टैंड रोड, जाली मोहल्ला, बंगलौर-58 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री अमीत बाशा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[संख्या कर्ना०-वि० स०/80/78(13)]
वी० के० राव, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 29th August, 1979

S.O. 3232.—*Whereas the Election Commission is satisfied* that Shri Ameet Basha, No. 37, Cart Stand Road, Jalimohalla, Bangalore-58, a contesting candidate for general election to the Karnataka Legislative Assembly held in February, 1978 from 80-Binnypet assembly constituency, has failed to lodge any account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ameet Basha to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. KT-LA/80/78(13)]

V. K. RAO, Under Secy.

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1979

का०आ० 3233.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा निदेश देते हैं कि पांडिचेरी के उपराज्यपाल निम्नलिखित मामले को नियमित करने के लिए संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी में न्यायिक सेवा के संबंध में और उस संघ शासित क्षेत्र के कार्यों से संबंधित पदों (जहां तक यह कार्य न्यायिक प्रशासन से संबंधित है) के लिए नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करेंगे, अर्थात् :—

1. ऐसी सेवा और पदों पर भर्ती की पद्धति,
2. ऐसी सेवा और पदों पर नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हताएं और
3. ऐसी सेवा और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की परिवीक्षा, स्थायीकरण, वरिष्ठता और पदोन्नति से संबंधित सेवा की शर्तें ।

(2) इस निदेश के अनुसरण में उप राज्य पाल द्वारा परिवीक्षा, स्थायीकरण, वरिष्ठता अथवा पदोन्नति संबंधी बनाए गए नियमों समेत सभी भर्ती नियम मद्रास उच्च न्यायालय के परामर्श से बनाए जाएंगे ।

[संख्या 30/16/76-न्याय]
आर० के० मजुमदार, अवर सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Justice)

New Delhi, the 31st August, 1979

S.O. 3233.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby directs that the Lt. Governor of Pondicherry shall exercise the power to make rules in the case of the Judicial Service of the Union territory of Pondicherry and posts in connection with the affairs of that Union territory (in so far as such affairs relate to the administration of justice) for regulating all or any of the following matters, namely :—

(i) the method of recruitment to such Service and posts ;

(ii) the qualifications necessary for appointment to such Service and posts ; and

(iii) the conditions of service of persons appointed to such Service and posts in so far as such conditions relate to probation, confirmation, seniority and promotion.

2. Any recruitment rules, including any rule relating to probation, confirmation, seniority or promotion, made by the Lt. Governor in pursuance of this direction shall be made in consultation with the Madras High Court.

[No. 30/16/76-Jus.]

R. K. MAZUMDER, Under Secy.

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1979

का०आ० 3234.—संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) की धारा 27 की उप-धारा (3) के खंड (क) के अनुसरण में तथा भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तारीख 2 फरवरी, 1979 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 575 का अधिक्रमण करते हुए राष्ट्रपति यह अवधारित करते हैं कि अप्रैल, 1979 के प्रथम दिन को या उसके पश्चात् प्रारम्भ होने वाले हर एक वित्तीय वर्ष के लिए, गोवा, दमण और दीव के प्रशासक के पद से संबंधित निम्नलिखित मदों पर व्यय, प्रशासक की उपलब्धियों और भत्तों से भिन्न, की राशि 4.60 लाख रुपए से अधिक न होगी, अर्थात् :—

(i) प्रशासक का कर्मचारिवृन्द और घरेलू साज-समान ;

(ii) प्रशासक की मोटर और अन्य गाड़ियां ;

(iii) प्रशासक के निवास स्थान का मूल निर्माण और उसका अनुरक्षण ; और

(iv) प्रशासक का लिपिकीय कर्मचारिवृन्द

परन्तु यदि किसी वित्तीय वर्ष में व्यय, प्रशासक के कार्यालय के कर्मचारिवृन्द की उपलब्धियों में ऐसी वृद्धि, जो वृद्धि वेतनवृद्धियों के प्रोद्भूत होने के कारण हुई है या सरकार द्वारा समय-समय पर मंजूर किए गए भत्तों में वृद्धि, के परिणामस्वरूप उक्त राशि 4.60 लाख रुपये से अधिक हो जाता है तो वह राशि उस वृद्धि के परिमाण तक बढ़ाई हुई समझी जाएगी ।

[संख्या यू०-11012/12/78-यू० टी० एल०]
एस० वी० शरण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 4th September, 1979

S.O. 3234.—In pursuance of clause (a) of sub-section (3) of section 27 of the Government of Union Territories Act, 1963 (20 of 1963), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. S.O. 575, dated the 2nd February, 1979, the President hereby determines that for each of the financial years commencing on and after the 1st day of April, 1979 the expenditure on the following items relating to the office of the Administrator of Goa, Daman and Diu, other than the Administrator's emoluments and allowances, shall be a sum not exceeding Rs. 4.60 lakhs, namely :—

(i) Staff and House-hold of the Administrator ;

(ii) Motor and other vehicles of the Administrator ;

(iii) Original works and maintenance of the residence of the Administrator ; and

(iv) Secretarial staff of the Administrator ;

Provided that, if, in any financial year, the expenditure exceeds the said sum of Rs. 4.60 lakhs consequent on increase in the emoluments of the staff of the office of the Administrator, such increase being occasioned by accrual of increments or increase in the allowances sanctioned by the Government from time to time, the said sum shall be deemed to be raised to the extent of such increase.

[No. U-11012/12/78-UTL]
S. V. SHARAN, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 1979

का० आ० 3235.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम 43) की धारा 269(ख) की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्बन्ध में सभी पूर्ववर्ती आदेशों का जहां तक उनका सम्बन्ध पश्चिम बंगाल से है, अधिलंघन करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा इस आदेश के साथ उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक सहायक आयकर आयुक्त को, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं के भीतर, उक्त अधिनियम के अध्याय XXक के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है :

सारणी

1	2	3
1.	निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त, अधिग्रहण रेंज-I, कलकत्ता ।	बड़ा बाजार, बेनियापुकुर, बोबाजार, ऐनतल्ली, मचीपारा, पार्कस्ट्रीट और तालतला स्थित पुलिस थाने ।
2.	निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त, अधिग्रहण रेंज-II, कलकत्ता ।	अलीपुर बेहाला, बेलाघाट, काशीपुर, चितपुर, दमदम इकबालपुर, गार्डनरीच, हेस्टिंग्ज, लेक टाउन, महेशताला, मानिकतला, मेटियाब्रुज, नारकेलडंगा, न्यू अलीपुर, फूल बागान, साल्ट लेक, साउथ डिविजन पोर्ट पुलिस, उल्टाडंगा और वाटगंज स्थित पुलिस थाने ।
3	निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त, अधिग्रहण रेंज-III, कलकत्ता ।	अम्हर्स्ट स्ट्रीट, बल्लीजुंगे, भवानीपुर, बड़तल्ला, ढाकुरिया, हरे स्ट्रीट, जादवपुर, जोरासांको, जोराबागान, कारिया, श्यामपुकुर और टोलीगंज स्थित पुलिस थाने ।
4.	निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त, अधिग्रहण रेंज-IV, कलकत्ता ।	उपर्युक्त से भिन्न समस्त पश्चिम बंगाल ।

यह आदेश 1 अगस्त 1979 से लागू होगा ।

[सं० 54/79—फा० सं० 316/74/79/धन-कर]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 17th July, 1979

S.O. 3235.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 269B of the Income Tax Act, 1961 (Act 43 of 1961) and in supersession of all previous orders in this respect, so far as they relate to West Bengal, the Central Government hereby authorises every Assistant Commissioner of Income-tax specified in the Column (2) of the table appended to this order to perform the functions of a competent authority under Chapter XXA of the said Act, within the local limits specified in column (3) of the said table :

TABLE

1	2	3
1.	Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-I, Calcutta.	Police stations at Burrabazar Beniapukur, Bowbazar, Entally, Muchipara, Park Street and Taltala.
2.	Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-II, Calcutta.	Police stations at Alipore Behala, Belaghata, Cossipore, Chitpore, Dum Dum Ekbalpore, Garden Reach, Hastings, Lake Town, Maheshtala, Manicktala, Metiabruz, Narkeldanga New Alipore, Phool Bagan, Salt Lake, South Division Port Police Ultadanga and Watgunj.
3.	Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range III, Calcutta.	Police stations at Amhers Street, Ballyjunge, Bhowanipore, Burtalla, Dhakuri Hare Street, Jadavpore, Jora-Sanko, Jora-Bagan, Karia, Shyampukur and Tollygunge.
4.	Inspecting Assistant Commissioner, Income-tax. Acquisition Range-IV Calcutta.	Enitre West Bengal other than the above.

This order shall come into force with effect from 1-8-1979.

[No. 54/79.—F. No. 316/74/79-WT]

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1979

का० आ० 3236.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अपने दिनांक 23 मई, 1977 के आदेश सं० 37/77-फा० सं० 316/211/76-धन कर का अधिलघन करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, आदेश देती है कि दिनांक 23 मई 1977 के उपर्युक्त आदेश के साथ संलग्न सारणी में, क्रम सं० 13ग और 13घ में की गयी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा—

सारणी

1	2	3
13(ग)	निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त, अभिग्रहण रेंज, जालन्धर ।	जालन्धर जिले की नवांशहर तहसील छोड़कर पंजाब के जालन्धर, कपूरथला, होशियारपुर जिले ।
13(घ)	निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त, अभिग्रहण रेंज, भटिण्डा ।	पंजाब के भटिण्डा, फिरोजपुर और फरीदकोट जिले और जालन्धर जिले की नवांशहर तहसील ।

2. यह आदेश 16 अगस्त 1979 से लागू होगा ।

[सं० 62/79—फा० सं० 316/180/79-धन कर]

एस० आर० गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 10th August, 1979

S.O. 3236.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in supersession of their order No. 37/77-F.No. 316/211/76-WT dated the 23rd May, 1977, the Central Government hereby order that in the table appended to the aforesaid order dated 23-5-1977, the entries in S. No. 13C and 13D shall be substituted by the following:—

TABLE

1	2	3
13(C)	Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Jullundur.	Jullundur, Kapurthala, Hoshiarpur, Districts of Punjab Except Nawanshahar Tehsil of Jullundur District.
13(D)	Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range Bhatinda.	Bhatinda, Ferozepur and Faridkot Districts of Punjab and Nawanshahar Tehsil of District Jullundur.

2. This order shall come into force with effect from 16-8-1979.

[(No. 62/79—F. No. 316/180-79-WT)]

S. R. GUPTA, Under Secy.

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा-शुल्क समाहर्ता का कार्यालय

बंगलौर, 8 अगस्त, 1979

सीम-शुल्क

का० आ० 3237.—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क कर्नाटक समाहर्तालय बंगलौर एतद्द्वारा, दिनांक 23 सितम्बर, 1968 को मैसूर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय बंगलौर द्वारा जारी की गयी अधिसूचना सी० सं० - VIII/48/65/67-सीमा शुल्क के साथ उपाबद्ध सारणी में मंगलौर बन्दरगाह में मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट की घाट संख्या 29 तथा 30 पर उचित वस्तुओं को उतारने के लिए अनुमोदन करते है।

यह अधिसूचना दिनांक 30-7-1980 तक प्रभावी रहेगी ।

[संख्या 4/79/सी० सं० -VIII/48/85/79-सीमाशुल्क]

रवीन्द्रनाथ शुक्ल, समाहर्ता

Office of the Collector of Central Excise and Customs

Bangalore, the 8th August, 1979

CUSTOMS

S.O. 3237.—In exercise of the powers conferred by section 8 of the Customs Act, 1962, the Collector of Central Excise and Customs, Bangalore, Karnataka Collectorate hereby approves wharf No. 29 and 30 of Mangalore Port Trust at the Port of Mangalore specified in the Table appended to the notification C. No. VIII/48/65/67 Cus. dated 23rd September, 1968, issued by Mysore Central Excise Collectorate, Bangalore for the unloading of free goods also.

This notification will remain in force upto 30-7-80.

[No. 4/79/C. No. VIII/48/85/79 Cus.]

R. N. SHUKLA, Collector

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1979

आयकर

का०आ० 3238.—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उप-खण्ड (iii) के अनुसरण मे, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री पी० पी० भटनागर-II और श्री एस०एल० कुबा को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. श्री जे० आर० जैन और श्री पी०सी० अग्रोल की कर वसूली अधिकारी के रूप में जो नियुक्तियां क्रमशः 19 अगस्त, 1977 की अधिसूचना सं० 1937 (फा० सं० 404/151/77-आ०क०स०क०) तथा 26 जून, 1978 की अधिसूचना सं० 2365 (फा० सं० 404/101/78 आ०क० स०क०) द्वारा संशोधित 3 मार्च, 1975 की अधिसूचना सं० 849 (फा०सं० 404/35/75-आ०क०स०क०) तथा 25 जून, 1976 की अधिसूचना सं० 1367 (फा० सं० 404/154/76-आ०क०स०क०) के अन्तर्गत की गई थीं वे एतद्द्वारा रद्द की जाती है।

3. यह अधिसूचना श्री पी० पी० भटनागर-II, श्री एस० एल० कुबा द्वारा कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार संभालने की तारीख से लागू होगी।

[सं० 2969 (फा० सं० 404/3(क० व० अ०-दिल्ली)/79-आ०क०स०क०]

एच० वेंकटरामन, उप-सचिव

New Delhi, the 13th August, 1979

INCOME TAX

S.O. 3238.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises S/Shri P. P- Bhatnagar-II and S. L. Kuba being gazetted officers of the Central Government, to exercise the powers of Tax Recovery Officers under the said Act.

2. The appointment of S/Shri J. R. Jain and P. C. Abrol as Tax Recovery Officeers made under Notification No. 849 (F. No. 404/55/75-ITCC) dated 3-3-1975 and No. 1367 (F. No. 404/154/76-ITCC) dated 25-6-76 modified vide Notification No. 1937 (F. No 404/151/77-ITCC) dated 19-8-77 and No 2365 (F. No. 404/101/78-ITCC) dated 26-6-78 respectively are hereby cancelled.

3. This Notification shall come into force with effect from the date S/Shri P. P. Bhatnagar-II and S. L. Kuba take over charge as Tax Recovery Officers.

H. VENKATARAMAN, Dy. Secy.

[No. 2969/F. No. 404/3(TRO-DLI)/79-ITC]

आदेश

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1979

स्टाम्प

का० आ० 3239.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, गुजरात औद्योगिक विकास निगम को, ऋण-पत्रों के रूप में, उक्त निगम द्वारा जारी किये जाने वाले एक करोड़ पैंसठ लाख रुपये के अंकित मूल्य के बन्ध पत्रों पर स्टाम्प शुल्क के रूप में प्रभार्य समेकित स्टाम्प शुल्क अदा करने की अनुज्ञा देती है ।

[सं० 28/79-स्टाम्प—फा० सं० 33/42/79-वि०कर०]

ORDER

New Delhi, the 10th September, 1979.

STAMPS

S.O. 3239.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits the Gujarat Industrial Development Corporation to pay consolidated stamp duty chargeable on account of the stamp duty on bonds in the form of debentures of the face value of rupees one crore and sixty five lakhs to be issued by the said Corporation.

[No. 28/79-Stamps-F.No.33/42/79-ST]

का० आ० 3240—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899(1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उस शुल्क को माफ करती है, जो कर्नाटक राज्य वित्तीय निगम द्वारा प्रोमिसरी नोटों के रूप में जारी किए जाने वाले एक करोड़ दस लाख रुपये मूल्य के बन्धपत्रों पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभार्य है ।

[सं० 29/70 स्टाम्प—फा० सं० 33/43/79-वि० क०]

एम० डी० रामस्वामी, अवर सचिव

S.O. 3240.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the form of promissory notes to the value of one crore and ten lakhs of rupees to be issuer by the Karnataka State Financial Corporation, are Chargeable under the said Act.

[No.29/79-Stamps-F.No 33/43/79-ST]

S. D. RAMASWAMY, Under Secy

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1979

का. आ. 3241.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पटसन उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1970 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम पटसन उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) द्वितीय संशोधन नियम, 1979 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पटसन उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1970 में नियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"9. निरीक्षण फीस :—पटसन उत्पादों के निरीक्षण के लिए, निरीक्षण फीस निम्नलिखित दरों पर दी जाएगी :—

(1) कालीन अस्तर—9.55 रुपये प्रति मीटरी टन ।

(2) हैसियन कपड़ा—12.75 रुपये प्रति मीटरी टन ।

(3) बोरे का कपड़ा/थैले, अन्य—8.45 रुपये प्रति मीटरी टन ।"

[सं. 6(6)/79-नि. नि. तथा नि. उ.]

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION

(Department of Commerce)

New Delhi, the 22nd September, 1979

S.O. 3241.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Jute Products (Quality Control and Inspection) Rules, 1970 namely :—

1. (1) These rules may be called the Export of Jute Products (Quality Control and Inspection) second Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Jute Products (Quality Control and Inspection) Rules, 1970, for rule 9 the following rule shall be substituted, namely :—

"9. Inspection fee :—Fees at the following rates shall be paid as inspection fees for inspection of jute products :—

(i) Carpet Backing—Rs. 9.55 per metric ton.

(ii) Hessian Cloth—Rs. 12.75 per metric ton.

(iii) Sacking Cloth/Bag, Others—Rs. 8.45 per metric ton.

[No. 6(6)/79-EI&EP]

आदेश

का०आ० 3242—भारत के निर्यात व्यापार विकास के लिए भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की पटसन के परिवर्तित उत्पादों से संबंधित अधिसूचना सं० का०आ० 4067, तारीख 20-9-75 में संशोधन करने के लिए कतिपय प्रस्ताव, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उप-नियम (2) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 2313, तारीख 12-8-78 के अधीन भारत के राजपत्र भाग-2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 12-8-78 में प्रकाशित किए गए थे ;

और उन सभी व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, 9-11-78 तक आपत्ति या सुझाव मांगे गए थे,

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 16-8-78 तक उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रस्तावों पर जनता से प्राप्त आपत्तियों तथा सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा निर्यात निरीक्षण परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् उसकी यह राय होने पर कि भारत के निर्यात व्यापार के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० का०आ० 4067, 20-9-75 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

इस आदेश में, उक्त आदेश के उपाबन्ध के स्तम्भ (2) में, खंड (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"आधारी तान्तव में प्रति डैसीमीटर, "सिरे और छिद्र" निर्यात सविदा में यथा अनुध्यात होंगे। प्रति डैसीमीटर किनारों में संबंधित सांविदिक विनिर्देश के आधार पर 7 प्रतिशत की सहायता अनुज्ञात की जाएगी।"

(8) स्तम्भ (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

कागज या पालिएथीलीन झिल्ली की मोटाई तथा सहायता निम्नलिखित होगी :—

किस श्रेणी को लागू होगा	मोटाई	पालिएथीलीन झिल्ली या विलेपित पालिएथीलीन की मोटाई पर सहायता
आसंजक की सहायता से पालिएथीलीन परत चढ़ा पटसन का कपड़ा या थैले पालिएथीलीन से विलेपित पटसन कपड़ा या बैग।	100 गेज या 23.5 ग्रा०/मी०^2 तथा अधिक	±25%
	300 गेज या 70.5 ग्रा०/मी०^2 तथा अधिक	±25%
ढीले अस्तर के रूप में पालिएथीलीन का प्रयोग करते हुए पटसन के बैग।	200 गेज या 47 ग्रा०/मी०^2 तथा अधिक	(i) 200 गेज से या 47 ग्रा० से 300 गेज या 705 ग्रा०/मी०^2 ±20% से कम (ii) 300 गेज से या 705 ग्रा०/मी०^2 से 400 गेज से कम या 94.0 ग्रा०/2—±15% (iii) 400 गेज से अधिक या 94.0 ग्रा०/मी०^2 ±10 प्रतिशत

[सं० 6(18)/73-नि०नि० तथा नि०उ०]

सी०वी० कुकरेती, संयुक्त निदेशक

ORDER

S.O. 3242.—Whereas for the development of the export trade of India, certain proposals to amend the notification of the Government of India in the Ministry of Commrce, No. S.O. 4067 dated the 20-9-1975 relating to the laminated Jute Products were published as required by sub-rule (2) of rule 11 of Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964 under the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 2313, dated the 12-8-78, published in the Gazette of India part II Section 3 sub-section (ii) dated 12-8-78;

And whereas objections and suggestions were invited till the 9-11-78 from all persons likely to be affected thereby;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on 16-8-78;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said proposals have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection), Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government, after consulting the Export Inspection Council, being of opinion that it is necessary and expedient so to do for the export trade of India hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India, in the Ministry of Commerce, No. S.O. 4067 dated the 20-9-75;

In this order in clause 2 of the Annexure to the said order : (i) for sub clauses (3), the following shall be substituted namely:— "Ends and picks per decimeter in the basis fabric shall be as stipulated in the export contract. A tolerance upto ±7.0% shall be permitted on the contractual specification in respect of ends and picks per decimeter";

(ii) for sub clause (4) the following shall be substituted namely:—

The thickness of Polythelene film or paper and the tolerance shall be as below:—

Category of application	Thickness	Tolerance on thickness of polythelene film or coated polythelene
Jute cloth or bag laminated with polythelene using adhesive.	100 gauge or 23.5 gms./m² and above.	±25%
Jute cloth or bag coated with polythelene	300 gauge or 70.5 gms./m² and above.	±25%
Jute bags using polythelene as loose liner	200 gauge or 47 gms./m² and above.	(i) From 200 gauge or 47 gms. to below 300 gauge or 70.5./m² ±20% (ii) From 300 gauge or 70.5 gms./m² to below 400 gauge or 94.0 gms./m²—±15% (iii) Above 400 gauge or 94.0 gms./m²±15%

[No. 6(18)/73-EI&EP]

C.B. KUKRETI, Joint Director

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1979

(समुद्री उत्पाद उद्योग विकास नियंत्रण)

का० आ० 3243.—का० आ० सं० 387, दिनांक 25 जनवरी, 1979 के अधीन जारी की गई अधिसूचना में, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972 के नियम 3 तथा 4 के साथ पठित समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 (1972 का 13) की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित और संशोधन किया जाता है ।

के स्थान पर	पढ़े
क्रमांक 26 रिक्त	(26) श्री वयालार रवि, केरल प्रदेश कांग्रेस हाउस, एम० जी० रोड, एर्णाकुलम, कोचीन-682016

[फा० सं० 1/एम-16/78-ई० पी० (एग्री०-I)]

टी० आर० नागराजन, अवर सचिव

New Delhi, the 24th August, 1979

(Marine Products Industry Development Control)

S.O. 3243.—In the Notification issued under S.O. No. 387, dated 25th January, 1979, the following further amendment is made by the Central Government in exercise of the powers conferred by Sub-Section (3) of Section 4 of the Marine Products Export Development Authority Act, 1972 (13 of 1972), read with rules 3 and 4 of the Marine Products Export Development Authority Rules, 1972.

For	Read
S. No. 26	
Vacant	(26) Shri Vayalar Ravi, Kerala Pradesh Congress House, M. G. Road, Ernakulam, Cochin-682016.

[F. No. 1/M-16/78-EP(Agri-I)]

T. R. NAGARAJAN, Dy. Director

(नागरिक पूर्ति एवं सहकारिता विभाग)

भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 1979-09-04

का०आ० 3244.—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाण चिन्ह) के विनियम 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस संख्या सी एम/एल-4190 जिसके ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, फर्म के अनुरोध पर 1976-12-31 से रद्द कर दिया गया है ।

अनुसूची

क्रम संख्या	लाइसेंस संख्या और दिनांक	लाइसेंसधारी का नाम और पता	रद्द किए गए लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया	तत्सम्बन्धी भारतीय मानक
1.	सी एम/एल-4190 1975-06-30	मैसर्स कोमान मेटल प्राडक्टस प्रा०लि० ऐससो रिफाइनरी के पीछे बी०पी०टी० रोड माहुल चैम्बूर, बम्बई। (कार्यालय 53/57 लक्ष्मी इंडयोरेंस बिल्डिंग सर पी एम रोड, फोर्ट, बम्बई-400001।	अल्प दाब द्रवणीय गैस के भंडारण और परिवहन के लिए वेल्डकृत अल्प कार्बन इस्पात के गैस सिलिंडर।	IS : 3224–1971 संपीड़ित गैस सिलिंडर के वाल्व फिटिंगों की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)

[संख्या सी एम डी/55: 4190]

(Department of Civil Supplies and Co-operation)

INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi the 1979-09-04

S.O. 3244.—In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks), Regulations 1955, as amended from time to time, the Indian Standards Institution herdby notifies that Licence No. CM/L-4190 particulars of which are given below has been cancelled with effect from 1976-12-31 at the request of the firm.

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No. and date	Name & Address of the Licensee	Article/Process Covered by the Licensees Cancelled	Relevant Indian Standards
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	CM/L-4190 1975-06-30	M/s Kosan Metal Products Pvt Ltd, Behind Esso Refinery, B.P.T. Road, Mahul, Chambur, Bombay-400074 having their office at 53/57 Laxmi Insurance Building, Sir P.M. Road, Fort, Bombay-400001.	Welded low carbon steel gas cylinders for the storage and transportation of low pressure liquefiable gases.	IS : 3224-1971 Specification for Valve fittings for compressed gas cylinders (First Revision).

[No. CMD/55 : 4190]

का०आ० 3245—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस संख्या सी एम/एल-2882 जिसके ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए है, फर्म के अनुरोध पर 1979-04-01 से रद्द कर दिया गया है।

अनुसूची

क्रम संख्या	लाइसेंस की संख्या और तिथि	लाइसेंसधारी का नाम और पता	रद्द किए गए लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया	तत्संबंधी भारतीय मानक
1	2	3	4	5
1	सी एम/एल-2882 1972-01-20	दि इंडियन टूल मैनुफैक्चरर्स लि०, 101, सायन रोड, सायन बम्बई-400022 डी डी	रीमर—	IS 5444-1969, IS 5445-1969 IS : 5446-1969 IS 5447-1969 IS : 5881-1970 IS 5882-1970 IS : 5907-1970 IS : 5918-1970 IS : 5919-1970 IS : 5926-1970 IS 6091-1971

[संख्या सी एम डी/55 : 2882]

ए० पी० बनर्जी, उप-महानिदेशक

S.O. 3245. —In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks), Regulations, 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that Licence No. CM/L-2882 particulars of which are given bleow has been cancelled with effect from 1979-04-01 at the request of the firm.

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No.	Name & Address of the Licensee	Article/Process Covered by the Licensees Cancelled	Relevant Indian Standards
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	CM/L-2882 1972-01-20	The Indian Tool Manufacturers Ltd, 101 Sion Road, Sion, Bombay-400022 DD.	Reamers	IS : 5444-1969, IS : 5445-1969, IS : 5446-1969, IS : 5447-1969, IS : 5881-1970, IS : 5882-1970 IS : 5907-1970, IS : 5918-1970, IS : 5919-1970, IS : 5926-1970 and IS : 6091-1971

[No. CMD/55 : 2882]

A.P. BANERJI, Dy Dir. General

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1979

का०आ० 3246—उत्प्रवासन अधिनियम, 1922 (1922 का 7) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उत्प्रवास संरक्षक कार्यालय, मंडपम कैम्प के श्री जी० जेम्स जेबकानी को दिनांक 2-4-1979 से उत्प्रवासी संरक्षक, मंडपम कैम्प के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० सी०पी०ई०ओ०/6/79/फा०स०एफ० 3(105) V.IV/60]

एम० एल० सूरी, अवर सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 20th April, 1979

S.O. 3246.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Emigration Act, 1922 (VII of 1922), the Central Government hereby appoints Shri G. James Jebakani, of the Office of the Protector of Emigrants, Mandapam Camp, as Protector of Emigrants, Mandapam Camp, with effect from 2-4-1979.

[No. CPEO/6/79-No. F3(105)V. IV/60]

M. L. SURI, Under Secy.

(हज कक्ष)

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1979

का०आ० 3247—हज समिति नियमावली, 1963 के नियम 6 (1क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, लोक सभा भंग हो जाने के कारण इसके द्वारा हज समिति, बम्बई के उन पदों को रिक्त घोषित करती है जिन पर संसद सदस्य (लोक सभा) सर्वश्री इब्राहीम सुलेमान सेट और कुंवर महमूद अली सदस्य के रूप में नामित थे जिसका प्रकाशन भारत सरकार ने क्रमशः अपनी अधिसूचना सं० एम (हज) 118-1/2/77 दिनांक 17-11-77 और 1-8-78 द्वारा किया था।

[सं० एम(हज) 118-1/2/77]

वी० के० ग्रोवर, संयुक्त सचिव

(वाना तथा हज)

(Haj Cell)

New Delhi, the 5th September, 1979.

S.O. 3247.—In exercise of the powers conferred by rule 6(1A) of the Haj Committee Rules 1963, the Government of India hereby declare vacant the seats held by S/Shri Ibrahim Sulaiman Sait and Kunwar Mahmud Ali, Members of Parliament (Lok Sabha) as members of the Haj Committee, Bombay as published by the Govt. of India under their notification No. M(Haj) 118-1/2/77 dated 17-11-77 and 1-8-79 respectively due to the dissolution of the Lok Sabha.

[No. M(Haj)118-1/2/77]

V. K. GROVER Joint Secy.

(Wana and Haj)

(कौंसल अनुभाग)

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1979

का० आ० 3248—राजनयिक एवं कौंसली अधिकारी (शपथ एवं शुल्क) अधिनियम, 1948 (1948 का 41वां) की धारा 2 के खण्ड (क) के अनुसरण में केन्द्र सरकार, इसके द्वारा भारत का राजदूतावास टोकियो में सहायक श्री बी० सी० बनिक को तत्काल से कौंसली एजेन्ट का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

[फाइल संख्या टी० 4330/1/79]

जे० हजारी, अवर सचिव

(Consular Section)

New Delhi, the 5th September, 1979

S.O. 3248.—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby authorises Shri B. C. Banik, Assistant in the Embassy of India, Tokyo, to perform the duties of a Consular Agent with immediate effect.

[File No. T. 4330/1/79]

J. HAZARI, Under Secy.

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1979

का० आ० 3249—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 3637 तारीख 6-12-78 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनें बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का निश्चय किया है ;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ;

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

एम० पी० बी० एन० से के० -54

राज्य—गुजरात जिला—मेहसाणा, अहमदाबाद तालुका—कडी, विरमगाम

गांव	सर्वेक्षण नं०	हेक्टेयर	एआरई	सेंटीआर
चालासण	82	0	03	50
बालसामण	255	0	09	75
	254	0	01	80
	257	0	21	73

[सं० 12016/14/78-प्रो०]

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS & FERTILIZER

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 24th August, 1979

S.O. 3249.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 3637 dated 6-12-78 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of power conferred by Sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Indian Oil and Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from SPA to NK-54

State : Gujarat Dist. : Mehsana/Ahmedabad
Taluka : Kadi/Viramgam

Villages	Survey No.	Hectare	ARE	Centiare
Chalasan	82	0	03	30
Balsasan	275	0	09	75
	254	0	01	80
	257	0	21	73

[No. 12016/14/78-Prod.]

का० आ० 3250.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 3635 तारीख 23-12-78 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधि नियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ;

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय इंडियन आयल कारपोरेशन लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

तहसील : देसूरी जिला : पाली राज्य : राजस्थान

ग्राम	खसरा नं०	क्षेत्रफल		
		हेक्टर	ऐयर	वर्ग-मीटर
बड़ोद	72/6	0	02	43

[सं० 12020/6/79 प्रो०]

S.O. 3250.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum Chemicals & Fertilizer (Department of Petroleum) S.O. 3635 dated 23-12-1978 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of power conferred by Sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Indian Oil Corporation Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

Tehsil : Desuri District : Pali State : Rajasthan

Village	Khasra No.	Area		
		H.	A.	Sq.M
Barod	72/6	0	02	43

[No. 12020/6/79-Prod.]

का० आ० 3251 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) का धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 973 तारीख 2-3-79 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप-लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी भाराओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को विहित होगा ।

अनुसूची

कूप नं० एम० टी० डी० से मोटवान-1 हीडर

राज्य : गुजरात जिला : ब्रोच तालुका : हांसोट

गांव	ब्लाक नं०	हेक्टेयर	एयर	सेन्टीयर
कलम	285	0	08	06
	286	0	02	86
	287	0	08	71
	194	0	10	92
	115	0	11	70
	114	0	13	00
	113	0	07	80
	112	0	05	98
	111	0	07	02
	110	0	07	80
	100	0	29	25
	67	0	59	15
	69	0	13	00
	28/P	0	03	90

[सं० 12016/13/79-प्रो०]

S.O. 3251.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 973 dated 2-3-79 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of power conferred by Sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Ro4 for well no MTB to Motwan-1 (Header)

State : Gujarat Distt. : Broach Taluka : Hansot

Village	Block No.	Hect.	Are	Centiare
Kalam	285	0	08	06
	286	0	02	86
	287	0	08	71
	194	0	10	92
	115	0	11	70
	114	0	13	00
	113	0	07	80
	112	0	05	98
	111	0	07	02
	110	0	07	80
	100	0	29	25
	67	0	59	15
	69	0	13	00
	28/P	0	03	90

[No. 12016/13/79-Prod.]

का० आ० 3252—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं० उत्तर कड़ी जी० जी० एस० I से उत्तर कड़ी सी० टी० एफ० तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईप लाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

ऐसी उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा, रोड बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधी व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

उत्तर कड़ी जी० जी० एस० I से उत्तर कड़ी सी० टी० एफ० तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कड़ी

गांव				
1	2	3	4	5
चलामन	95	0	04	50
	कार्टट्रेक	0	01	05
	110	0	16	05
	87	0	17	55
	86	0	07	35
	111/P	0	02	70
	111/P	0	08	40
	112	0	10	35

1	2	3	4	5
	कार्टट्रेक	0	00	60
	118/2	0	04	95
	117/P	0	01	50
	117/P	0	10	55
	121/P	0	18	00
	121/P	0	01	65
बास सामन	तालुका . विरगाम	जिला . अहमदाबाद		
	216/5	0	02	25
	216/4	0	05	85
	216/3	0	05	85
	216/1/पी1	0	01	50
	216/1/पी2	0	03	45
	216/1/पी3	0	10	05
	217	0	06	75
		0	04	50
	218/2	0	12	15
	कार्टट्रेक	0	01	05
	202/3	0	09	60
	201/3	0	06	00
	201/2	0	03	60
	201/1	0	03	60
	199/3	0	06	75
	199/2/प	0	04	50
	200	0	02	10
	198/पी1	0	03	75
	198/पी2	0	03	15
	198/पी3	0	02	40
	198/पी4	0	02	40
	198/पी	0	02	55
	197/पी	0	00	20
	195	0	00	20
	196/6	0	07	80
	196/4	0	06	60
	196/3	0	03	90
	196/2	0	03	75
	196/1	0	01	95
	195/2	0	01	65
	191/पी1	0	08	70
	191/पी	0	06	30
	191/पी1	0	01	35
	192/3	0	05	85
	कार्ट ट्रेक	0	01	35
	138/3	0	07	35
	138/2	0	08	25
	138/1	0	01	35
	137/4	0	02	25
	9	0	62	55
	127/पी	0	22	35
	126/2	0	01	65
	126/1/पी	0	03	15
	126/1/पी	0	07	80
	126/1/पी	0	01	20
	125/2+-3+4	0	09	00
	67/2	0	12	00
	66	0	16	35
	67/1	0	00	20
	कार्ट ट्रेक	0	01	35
	61/2	0	08	70
	61/1	0	10	95
	60	0	08	55
	58/पी	0	02	40
	58/पी1	0	07	05
	58/पी2	0	05	25
	58/पी	0	10	80
	58/पी3	0	01	05
	58/पी	0	05	70
	58/पी1	0	15	75
	51	0	03	75
	52/पी	0	08	25
	52/पी1	0	15	00
	53/पी	0	02	00
	53/1	0	01	45
	54	0	04	05
	49	0	03	30
काटारिया	तालुका : विरगाम	जिला : अहमदाबाद		
	41/पी	0	07	95
	41/पी1	0	11	25
	40	0	06	45
	42	0	16	35
	38/पी	0	07	50
	38/पी1	0	15	15
	37/पी	0	03	45
	48	0	25	20
	143	0	01	35
	रेलवे	0	02	25
टलावी	तालुका . विरगाम	जिला . अहमदाबाद		
	227	0	00	96
	266/43	0	18	60
	226/55	0	00	30
	226/27/पी	0	04	95
	226/27/पी1	0	04	80
	266/27/पी2	0	02	85
	226/28	0	09	15
	कार्ट ट्रेक	0	00	75
	209/59	0	17	55
	209/57	0	04	65
	209/55	0	04	05
	209/49	0	05	00
	209/55	0	00	85
	209/50	0	06	30
	209/47	0	08	40
	209/26	0	22	35
	209/23	0	03	00

[सं० 12016/35/79-प्रो०]

S.O. 3252—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from N. Kadi GGS I to N. Kadi CTF in Gujarat State pipelines should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from N. Kadi Cos I to N. Kadi CTF

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Chalasan	95	0	04	50
	Cart track	0	01	05
	110	0	16	05
	87	0	17	55
	86	0	07	35
	111/P	0	02	70
	111/P	0	08	40
	112	0	10	35
	Cart track	0	00	60
	118/2	0	04	95
	117/P	0	01	50
	117/P	0	10	55
	121/P	0	18	00
	121/P	0	01	65
Balassan	Taluka : Viramgam	District : Ahmedabad		
	216/5	0	02	25
	216/4	0	05	85
	216/3	0	05	85
	216/1/P	0	01	50
	216/1/P	0	03	45
	216/1/P	0	10	05
	217	0	06	75
		0	04	50
	218/2	0	12	15
	Cart track	0	01	05
	202/3	0	09	60
	201/3	0	06	00
	201/2	0	03	60
	201/1	0	03	60
	199/3	0	06	75
	199/2/A	0	04	50
	200	0	02	10
	198/P	0	03	75
	198/P	0	01	15
	198/P	0	02	40
	198/P	0	02	40
	198/P	0	02	55
	197/P	0	00	20
	195	0	00	20
	196/6	0	07	80
	196/4	0	06	60
	196/3	0	03	90
	196/2	0	03	75
	196/1	0	01	95
	195/2	0	01	65
	191/P	0	08	70
	191/P	0	06	30
	191/P	0	01	35
	192/3	0	05	85
	Cat track	0	01	35
	138/3	0	07	35
	138/2	0	01	25
	138/1	0	01	35
	137/4	0	02	25
	9	0	62	55
	127/P	0	22	35
	126/2	0	01	65
	126/1/P	0	03	15
	126/1/P	0	07	80
	127/1/P	0	01	20
..	125/2+3+4	0	09	00
	67/2	0	12	00
	66	0	16	35
	67/1	0	00	20
	Cart track	0	01	35
	61/2	0	08	70
	61/1	0	10	95
	60	0	08	55
	58/P	0	02	40
	58/P	0	07	05
	58/P	0	05	25
	58/P	0	10	80
	58/P	0	01	05
	58/P	0	05	70
	58/P	0	15	75
	51	0	03	75
	52/P	0	08	25
	52/P	0	15	00
	53/P	0	02	00
	53/1	0	01	45
	54	0	04	05
	49	0	03	30
Bhataria	Taluka : Viramgam	Distt. : Ahmedabad		
	41/P	0	07	95
	41/P	0	11	25
	40	0	06	45
	42	0	16	35
	38/P	0	07	50
	38/P	0	15	15
	37/P	0	03	45
	48	0	25	20
	143	0	01	35
Telavi	Taluka : Viramgam	Distt. : Ahmedabad		
	Railway	0	02	25
	227	0	00	96
	266/43	0	18	60
	226/55	0	00	30
	226/27/P	0	04	95
	266/27/P	0	04	80
	266/27/P	0	02	85
	226/28	0	09	15
	Cart Track	0	00	75
	209/59	0	17	55
	209/57	0	04	65
	209/55	0	04	05
	209/49	0	05	00
	209/55	0	00	85
	209/50	06	06	30
	209/47	0	08	40
	209/26	0	22	35
	209/23	0	03	00

[No. 12016/35/79-Prod.]

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1979

का०आ० 3253.—यत: पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का०आ० सं० 3634 तारीख 23-12-78 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यत:, केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय इण्डियन आयल कारपोरेशन लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

[सं० 12020/5/78-प्रो०]

अनुसूची

तहसील : खारची	जिला : पाली	राज्य : राजस्थान		
ग्राम	खसरा नं०	क्षेत्रफल		
		हैक्टेयर	ऐयर	वर्गमीटर
देवली (अऊग्रा)	1591	0	01	84
गुडाकेसरसिंह	175	0	15	18
	51	0	01	84
गयाना	233	0	00	31
	284	0	00	31
	189	0	00	69
बोरनडी	145	0	00	13

[सं० 12020/5/78-प्रो०]

New Delhi, the 27th August, 1979

S.O. 3253.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizer (Department of Petroleum) S.O. 3634 dated 23-12-78 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of power conferred by Sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Indian Oil Corporation Limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

Tehsil : Kharchi	District : Pali	State : Rajasthan		
Village	Khasra No.	Area		
		H.	A.	Sq.M.
D[illegible] (Arwa)	1591	0	01	84
Gur[illegible]rsingh	175	0	15	18
	51	0	01	84
[illegible]ana	233	0	00	31
	[illegible]34	0	00	31
	189	0	00	69
Bornari	145	0	00	13

[No. 12020/5/78-Prod.]

का०आ० 3254.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं० एन०के० पी०क्यू० से एन०के० पी० वाय से जी०जी०एस०-101 तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये ।

और यत: यह, प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अत: अब, पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

एन०के० पी०क्यू० से एन०के० पी० वाय से जी०जी० एस० 101

राज्य—गुजरात जिला—अमदाबाद तालुका—विरम ग्राम

गांव	सर्वेक्षण नं०	हैक्टेयर	एयर्स	सेंटीयर
तेलावी	236/17	0	00	84
	236/18	0	06	36
	236/19	0	09	60
	236/24	0	10	04

1	2	3	4	5
	236/33	0	09	36
	236/32	0	08	04
	225/2	0	14	40
	225/4	0	02	64
	225/6	0	18	84
	226/5	0	04	92
	226/67	0	08	28
	226/7	0	06	72
	226/66	0	04	09
	209/34	0	03	96
	209/35	0	04	34
	209/36	0	13	80
	210/1	0	13	32
	209/16	0	04	80
	209/11	0	14	40

[सं० 12016/41/79-प्रो-II]

S.O. 3254—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from NKBR to NKBY to GGS-101 in Gujarat State pipelines should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

NKBQ to NKBY to GGS 101

State : Gujarat Distt. Ahmedabad Taluka Viramgam

Village	Survey No.	Hect.	Are	Centiare
Telavi	236/17	0	00	84
	236/18	0	06	36
	236/19	0	09	60
	236/24	0	10	04
	236/33	0	09	36
	236/32	0	08	04
	225/2	0	14	40
	225/4	0	02	64
	225/6	0	18	84
	226/5	0	04	92
	226/67	0	08	28
	226/7	0	06	72
	226/66	0	04	08
	209/34	0	03	96
	209/35	0	04	34
	209/36	0	13	80
	210/1	0	13	32
	209/16	0	04	80
	209/11	0	14	40

[No. 12016/41/79-Prod. II]

का०आ० 3255.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं० एन०के०बी० एल० से जी०जी०एस०-101 तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

कूप नं० एन०के०बी०एल० से जी०जी०एस०-101

राज्य—गुजरात जिला—अमदाबाद तालुका—विरमगाम

गांव	सर्वेक्षण नं०	हैक्टेयर	एआर	सेंटीयर
तेलावी	209/11	0	03	60
	209/26	0	07	92
	209/20	0	06	21
	209/47	0	06	24
	209/51	0	04	20

[सं० 12016/41/79-प्रो० I]

S.O. 3255.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from NKBL to GGS-101 in Gujarat State pipelines should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section (3) of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

ROU from Well No. NKBL to GGS 101

State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Viramgam

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Telavi	209/11	0	03	60
	209/26	0	07	92
	209/20	0	06	24
	209/47	0	06	24
	209/51	0	04	20

[No. 12016/41/97 Prod. I]

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1979

का०आ० 3256.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का०आ० सं० 971 तारीख 2-3-79 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी संयंत्रों से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

नवागाम सी०टी०एफ० से कैलीको मिल तक गैस लाइन बिछाने के लिये

राज्य—गुजरात जिला—अहमदाबाद तहसील—सदूर

गांव	सर्वे सं०	हैक्टेयर	एआर	सेंटीयर
बेहरामपुरा	पिराना रोड में सर्वे सं० 138	0	02	77.5
	पिराना रोड से क्रम सं० 225 से 209	0	08	89.5
	पिराना रोड फाइनल प्लाट सं० 100 से 125	0	08	20.5
	रोड 125 से 151 और 153	0	10	39.5
	153	0	00	24
	रोड के बीच 153 से कैलीको मील	0	00	24

[सं० 12016/11/79-प्रो०]

New Delhi, the 28th August, 1979

S.O. 3256.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 971 dated 2-3-79 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of power conferred by Sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Nawagam CTF to Calico Mills Gas line

State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : City

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Behrampura	Pirana road in survey No. 138	0	02	77.5
	Pirana road from Sr. No. 225 to 209	0	08.89	5
	Pirana road final Plot No. 100 to 125	0	08	20.5
	Road from 125 to 151 & 153	0	10	39.5
	153	0	00	24
	Road between 153 to Calico Mills	0	00	24

[No. 12016/11/79-Prod.]

का०आ० 3257.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार (अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का०आ० सं० 502 तारीख 19-1-79 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

कूप नं० एन०के०सी०पी० से डब्ल्यू०एच०आई० कडी-25

राज्य—गुजरात जिला—अहमदाबाद तालुका—विरमगाम

गांव	सर्वेक्षण नं.	हैक्टेयर	एआर	ई सेंटीयर
तेलावी	226/65	0	15	00

[सं० 12016/11/79-प्रो०]

S.O. 3257.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 502 dated 19-1-79 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of power conferred by Sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

ROU from D.S. NKCC to WHI KADI 25

State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Viramgam

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Con-tiare
Telavi	226/65	0	15	00

[No. 12016/11/79-Prod.]

का०आ० 3258 यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार (अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का आ० सं० 601 तारीख 30-1-79 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ;

और आगे उस धारा की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और उपयोग का प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

कूप नं० वालनेर-1 से मोटवान-1 तक पाइप लाइन बिछाने के लिये

राज्य—गुजरात तालुका—अंकलेश्वर जिला—भरुच

गांव	ब्लाक नं०	हैक्टेयर	एआरई	सेंटीयर
मोटवान	236	0	13	65
	237	0	06	24
	238	0	13	00
	246	0	03	90
	209	0	03	85
	227	0	03	60
	225	0	16	64
	226	0	18	55
	232	0	41	60

[(सं० 12016/4/79-प्रो०)]

S.O. 3258.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 604 dated 30-1-79 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of power conferred by Sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

RGU For Laying as pipeline from well No. Walner-1 to Motwan-1

State : Gujarat Taluka : Ankleshwar District : Broach

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Con-tiare
1	2	3	4	5
Motwan	236	0	13	65
	237	0	06	24
	238	0	13	00
	246	0	03	90
	209	0	05	85
	227	0	02	60
	225	0	16	64
	226	0	18	55
	232	0	41	60

[No. 12016/4/79-Prod.]

का० आ० 3259.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 602 तारीख 30-1-79 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था;

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय है;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

कूप नं० 68 से के-34 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात जिला—मेहसाना तालुका—कलोल

गांव	ब्लाक नं०	हेक्टेयर	एआरई	सेंटीयर
धमासना	812	0	06	70
	767	0	02	10

[सं० 12016/3/79-प्रो०-II]

S.O. 3259.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 602 dated 30-1-79 under *Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum* and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) *of Section 6 of the said Act, submitted report* to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, *in* exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of power conferred by Sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Well No. 68 to K-34

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol

Village	Block No	Hectare	Are	Centiare
Dhamsana	812	0	06	70
	767	0	02	10

[No. 12016/3/79-Prod-II]

का० आ० 3260.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० नं० 603 तारीख 30-1-79 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था,

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (i) द्वारा दत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

के० ओ० डी० 9 से जी० जी० एस-IV तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात जिला—मेहसाना तालुका—कलोल

गांव	ब्लाक नं०	हेक्टेयर	एआरई	सेन्टीयर
धमासना	870	0	01	50

[सं० 12016/3/79-प्रो०]

S.O. 3260.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 603 dated 30-1-79 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of power conferred by Sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from KOD-9 to GGS-IV

State : Gujarat   District : Mehsana   Taluka : Kalol

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Dhamasana	879	0	01	50

[No. 12016/3/79-Prod.]

का० आ० 3261.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 252 तारीख 1-1-79 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

जी० जी० एस-I से जी० जी० एस- VI तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात   जिला : व तालुका : गांधीनगर

गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	आरई	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
सेरथा	239/1	0	01	60
	1	0	12	30
	42	0	01	25
	1265/1	0	00	40
	1273/3	0	00	50
सोयल राठोड	347	0	01	00
	जिला : मेहसाना	तालुका : कलोल		
कलोल	252/227	0	00	25
	194/2	0	01	30
सईज	662/1	0	00	15
	659/3	0	02	50
	659/1/बी	0	00	60
	654/1/ए	0	00	15
	654/1/बी	0	00	80
	654/1/डी	0	01	75
	680	0	01	93
	683	0	05	00
	687	0	00	64
	688/4	0	00	90
	690/1	0	00	15
	978/1	0	03	74
	978/2	0	03	06
	993	0	12	02
	980	0	15	00
	977	0	01	30
	976	0	18	00
	ब्लाक नं०			
ईसन्ड	787	0	01	00
	803	0	00	50
	जिला : मेहसाना	तालुका : कड़ी		
अम्बापुरा	39/1	0	01	50
	17/1	0	22	00
	64/4	0	05	52
	64/1	0	00	75
	66/3	0	00	20
	66/2	0	02	25
	66/1	0	04	25

[सं० 12016/19/79-प्रो०]

S.O. 3261.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 252 dated 1-1-79 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of power conferred by Sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from G.G.S. I to G.G.S. VI.

State : Gujarat

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
District & Taluka : Gandhinagar				
Sertha	339/1	0	01	60
	3	0	12	30
	42	0	01	25
	1268/1	0	00	40
	1273/3	0	00	50
Bhoyan Rathod	347	0	01	00
District : Mehsana	Taluka : Kalol			
Kalol	252/227	0	00	25
	194/2	0	01	30
Salj	662/1	0	00	15
	659/3	0	02	50
	659/1/B	0	00	6
	654/1/A	0	00	15
	654/1/B	0	00	80
	654/1/D	0	01	75
	680	0	01	93
	683	0	05	00
	687	0	00	64
	688/4	0	00	90
	690/4	0	00	15
	978/1	0	03	74
	978/2	0	03	06
	993	0	12	02
	980	0	15	00
	977	0	04	30
	976	0	18	00
	Block No.			
Isand	787	0	01	00
	803	0	00	50
District : Mehsana	Taluka : Kadi			
Ambavpura	39/1	0	01	50
	47/1	0	22	00
	64/4	0	05	52
	64/1	0	00	75
	66/3	0	00	20
	66/2	0	02	25
	66/1	0	04	25

[No. 12016/19/79-Prod.]

का० आ० 3262.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन, भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 1175, तारीख 22-3-79 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार की रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमियो में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग,में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

कूप सं० एन० के० बी० के० से एन० के० बी० क्यू०

राज्य: गुजरात	जिला :	अहमदाबाद	तालुका :	विरमगाम
गांव	सर्वेक्षण सं०	हेक्टेयर	एआरई	सेन्टीयर
तेलावी	237	0	15	96
	236/21	0	10	32
	236/37	0	05	52
	236/20	0	06	84

[सं० 12016/22/79-प्रो०]

S.O. 3262.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 1175, dated 22-3-79 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines ;

And further, in exercise of power conferred by Sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from well No. NKBX to NKBQ

State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Viramgam

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Telavi	237	0	15	96
	236/21	0	10	32
	236/17	0	05	52
	236/20	0	06	84

[No. 12016/22/79-Prod.]

का० आ० 3263—यत पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि म उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) का धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० स० 1176, तारीख 22-3-79 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से सलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाईनो को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषत कर दिया था ,

और यत सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार की रिपोर्ट दे दी है ,

और आगे, यत केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से सलग्न अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमियो मे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब, अत. उक्त अधिनियम का धारा 6 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना मे सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों मे उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ;

और आगे, उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियो मे उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार मे विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओ से मुक्त रूप मे, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

कूप न० एन० के० बी० जैड० से स्टीम पोईन्ट एन० के० एक्स० तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य: गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका : विरमगाम

गांव	सर्वेक्षण न०	हेक्टेयर	एआरई	सेन्टीयर
तेलावी	209/36	0	04	32
	209/38	0	04	80
	209/42	0	04	56
	209/44	0	03	12
	209/46	0	06	00
	226/10	0	04	00

[स० 12016/22/79-प्रो० II]

S O. 3263.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S O. No. 1176, dated 22-3-79 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines ;

And further, in exercise of power conferred by Sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall, instead of vesting in the Central Government, vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission, free from encumbrances.

SCHEDULE

ROU for well no NKBZ to Steam Point at Rou NKX

State Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Viramgam

Village	Survey No.	Hec tare	Are	Cen-tiare
Telavi	209/36	0	04	32
	209/38	0	04	80
	209/42	0	04	56
	209/44	0	03	12
	209/46	0	06	00
	226/10	0	04	00

[No 12016/22-79-Prod II]

का० आ० 3264—यत पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० स० 3364, तारीख 5-11-78 द्वारा, केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियो के उपयोग के अधिकार को पाइप लाईनो को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यत: सक्षम प्रधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ,

और आगे, यत केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ,

अब अत. उक्त अधिनियम का धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों मे उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ;

और आगे, उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियो में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार मे विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओ मुक्त रूप मे, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

सानन्द -4 से जी० जी० एस० एस० आई० पी० तक बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला महेसाना तालुका. कड़ी क्षेत्रफल

गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	एआर	ई० सेंटीयर
1	2	3	4	5
थोल	1122	0	03	80
	1115/2	0	06	20
	1116	0	05	97
	1114/3	0	11	02
	1114/2	0	04	65
	1092/2	0	05	22
	1093	0	04	55
	1094	0	05	74

1	2	3	4	5
	1095/3	0	01	50
	1090	0	04	50
	1089/1	0	07	29
	1088/4	0	03	57
	1063/2	0	07	75
	Cart track	0	01	24
	1066	0	15	66
	1065	0	04	49
	1071	0	10	24
	1078	0	01	86
	1075/2	0	09	30
	1075/1	0	02	87
	1076/2	0	06	20
	1076/1	0	01	95
	1423	2	49	05
	P.W.D. Road	0	03	26
	तालुक : कलोल			
हाजीपुर	615/1	0	18	60
	ब्लॉक संख्या			
भीमासन	47	0	01	02
	46	0	16	50
	48	0	14	95
	44	0	20	62
	32	0	03	50
	31	0	17	00
	Cart track	0	00	62
	29	0	08	29
	26	0	07	83
	23	0	17	50
	22	0	00	50
	18	0	04	50
	15	0	04	50
	17	0	29	00
	16	0	00	50

[सं० 12016/1/79-प्रो० I]

S.O. 3264.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 3364, dated 5-11-1978 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline :

And whereas, the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines ;

And further, in exercise of power conferred by Sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall, instead of vesting in the Central Government, vest on this date of the publicaton of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission, free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Sanand 4 to GGS SIP

State : Gujarat District : Mehsana

Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Thol	1122	0	03	80
	1115/2	0	06	20
	1116	0	05	97
	1114/3	0	01	02
	1114/2	0	04	65
	1092/2	0	05	22
	1093	0	04	55
	1094	0	05	74
	1095/3	0	01	50
	1090	0	04	50
	1089/1	0	07	29
	1088/4	0	03	57
	1063/2	0	07	75
	Cart track	0	01	24
	1066	0	15	66
	1065	0	04	49
	1071	0	10	24
	1078	0	01	86
	1075/2	0	09	30
	1075/1	0	02	87
	1076/2	0	06	20
	1076/1	0	01	95
	1423	2	49	05
	P.W.D. Road	0	03	26
	Taluka : Kalol			
Hajipur	615/1A	0	18	60
	Block No.			
Bhimasan	47	0	01	02
	46	0	16	50
	48	0	14	95
	44	0	20	62
	32	0	03	00
	31	0	17	00
	Cart track	0	00	62
	29	0	08	29
	26	0	07	83
	23	0	17	50
	22	0	00	50
	18	0	04	50
	15	0	04	50
	17	0	29	00
	16	0	00	50

[No. 12016/1/79-Prod. I]

का०आ० 3265.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 3366 तारीख 5-11-78 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था;

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

कूप नं० मोटवान - 2 से जी० जी० एस-5 तक पाइपलाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : भरूच तालुका : अंकलेश्वर

गांव	सर्वे सं०	हक्टेयर	ए आर ई सेण्टीयर
मोटवान	152/5	0	03 90
	152/4	0	05 20
	150/3	0	03 90
	15	0	06 24
	16/2	0	01 50

[सं० 12016/1/79—प्रो० II]

एस० एम० वाई० नदीम, अवर सचिव

S.O. 3265.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 3366 dated 5-11-78 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers confered by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of power conferred by Sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publicaton of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from well No. Motwan –2 to GGS V

State : Gujarat District : Broach Taluka : Ankleshwar

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Motwan	152/5	0	03	90
	152/4	0	05	20
	150/3	0	03	90
	15	0	06	24
	16/2	0	01	50

[No. 12016/1/79-Prod. II]

S. M. Y. NADEEM, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1979

का० आ० 3266.—भारत सरकार के अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाइन (प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के कलोल तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में व्यधन स्थल सं० के० ओ० डी०-3 से के-154 तक पेट्रोलियम के लिए भूमि उपयोग के अधिकार है।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपयुक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (1) की धारा (1) में निर्दिष्ट कार्य दिनांक 24-2-1977 से समाप्त कर दिया गया है।

अत: अब पेट्रोलियम पाइप लाइन के नियम (प्रयोगता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) नियम, 1963 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्त की तिथि अधिसूचित करते हैं।

अनुसूची

के० ओ० डी०-3 से के-154 तक पाइपलाइन कार्य समाप्ती

मंत्रालय का नाम	गांव	का०आ०सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक	छत्राल ओला	1280	21-4-1979	24-2-1977

[सं० 12016/16/79-प्रो० II]

New Delhi, 29th August, 1979

S.O. 3266.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of pertoleum from d.s. KOD-3 to K—154 in Kalol oil field in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on 24-2-1977.

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of Operation of pipeline from D.S. KOD-3 to K-154.

Name of Ministry	Villages	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination operation
Petroleum, Chemicals & Fertilizer	Chatral OLA	1280	21-4-1979	24-2-1977

[No. 12016/16/79-Prod. II]

का० आ० 3267.—भारत सरकार के अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाइन (प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के कलोल तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में व्यधन स्थल सं० के-74 से जी० जी० एस० तक पेट्रोलियम के लिए भूमि उपयोग के अधिकार है।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपयुक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (1) की धारा (i) में निर्विष्ट कार्य दिनांक 22-5-70 से समाप्त कर दिया है।

अतः अब पेट्रोलियम पाइपलाइन के नियम (प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) नियम, 1963 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूचित करते है।

अनुसूची

के-74 से जी० जी० एस० तक पाइपलाइन कार्य की समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का०आ०सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक	कलोल धमासना	255	20-1-79	22-5-70

[सं० 12016/16/79-प्रो०-II]

S.O. 3267.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. K-74 to G.G.S. VI in Kalol oil field in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on 22-5-70.

Now, therefore, under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of operation of pipeline from D.S. K-74 to G.G.S. IV

Name of Ministry	Villages	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Petroleum, Chemicals & Fertilizer	Kalol Dhamasana	255	20-1-79	22-5-70

[No. 12016/16/79.-Prod. II]

का० आ० 3268.—भारत सरकार के अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के कलोल तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में व्यधन स्थल सं० के० ओ० डी०-9 से के० एफ० वी० तक पेट्रोलियम के लिए भूमि उपयोग के अधिकार है।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपयुक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (1) की धारा (i) में निर्विष्ट कार्य दिनांक 18-11-77 से समाप्त कर दिया है।

अतः अब पेट्रोलियम पाइप लाइन के नियम (प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) नियम, 1963 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूचित करते है।

के० ओ० डी०-9 से के० एफ० वी० तक पाइपलाइन कार्य समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का०आ० सं०	भारत के राजपत्र मे प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक	धमासना	256	20-1-79	18-11-79

[सं० 12016/16/79-प्रो०-III]

S.O. 3268.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. KOL-9 to KFV in Kalol oil field in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on 18-11-77.

Now, therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of operation of Pipeline from D.S. KOD-9 to KFV.

Name of Ministry	Villages	S.O. No.	Date of publication in Gazette of India	Date of termination of operation
Petroleum, Chemical & Fertilizer	Dhamasana	256	20-1-79	18-11-77

[No. 12016/16/79-Prod.III]

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1979

का० आ० 3269.—भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाइन (प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के खंबात तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में खोदन स्थल सं० 23 से जी० सी० एस० तक पेट्रोलियम के लिए भूमि उपयोग के अधिकार प्राप्त किए गए हैं ।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपर्युक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (1) की धारा (i) में निर्दिष्ट कार्य दिनांक 20-7-76 से समाप्त कर दिया गया है ।

अतः अब पेट्रोलियम पाईप लाइन के नियम (प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) नियम, 1963 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूचित करते हैं ।

अनुसूची

23 से जी० सी० एस० तक पाईप लाइन कार्य की समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का०आ०सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक	झालापुर नेजा सोखडा पालडी	1753	26-5-79	20-7-76

[सं० 12016/25/79-प्रो०-4]

New Delhi, the 31st August, 1979

S.O. 3269.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub section(1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from D.S. 23 to GCS in Cambay oil field in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on 20-7-76.

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of terminati on of operation to above.

SCHEDULE

Termination of operation of Pipeline from D.S. 23 to GCS.

Name of Ministry	Villages	S.O.No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Petroleum Chemicals & Fertilizer	Zalapur Neja Sokhda Paldi	1753	26-5-79	20-7-76

[No. 12016/25/79-Prod IV]

का० आ० 3270.—भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाइन (प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के मेहसाना तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में खोदन स्थल सं० एन० के० 58 से एस० पी० जे० से एस० पी० डी० तक पेट्रोलियम के लिए भूमि उपयोग के अधिकार प्राप्त किए गए हैं।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपर्युक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (1) की धारा (i) में निर्दिष्ट कार्य दिनांक 25-8-75 और 23-2-76 से समाप्त कर दिया है ।

अतः अब पेट्रोलियम पाईप लाइन के नियम (प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) नियम, 1963 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूचित करते है ।

अनुसूची

एन० के०-58 से एस० पी० जे० से एस० पी० डी० तक पाइप लाइन कार्य की समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का०आ०सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक	मेसदपुरा बालसामण	1231	14-4-79	25-8-75 और 23-2-76

[सं० 12016/25/79 प्रो०-III]

S.O. 3270.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from D.S. NK-58 to SPJ to SPD in Mehsana oil field in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub section (1) of section 7 of the said Act on 25-8-75 & 23-2-76.

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of operation of Pipeline from D.S. NK-58 to SPJ to SPD

Name of Ministry	Villages	S.O.No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Petroleum, Chemicals & Fertilizer	Memadpur Balsasan	1231	14-4-79	25-8-75 & 23-2-76

[No. 12016/25/79-Prod, III]

का० आ० 3271—भारत सरकार की अधिसूचना की द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाइन (प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के मेहसाना तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि मे बंधन स्थल स० एन० के० ए० एन से जी० जी० एस० कम सी० टी० एफ० कडी तक पेट्रोलियम के लिए भूमि उपयोग के अधिकार प्राप्त किए गए हैं ।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के उपर्युक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (1) की धारा (i) मे निर्दिष्ट कार्य दिनांक 17-11-77 से समाप्त कर दिया है ।

अतः अब पेट्रोलियम पाईप लाइन के नियम (प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) नियम, 1963 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूचित करते है ।

अनुसूची

एन० के० ए० एन० से जी० जी० एस० कम सी० टी० एफ० कडी तक पाईप लाइन कार्य की समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का०आ० सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य की समाप्ति की तिथि
पेट्रोलियम, रसायन, और उर्वरक	चालासण बालसासण	1228	14-4-79	17-11-77

[सं० 12016/25/79-प्रोड II]

S.O. 3271—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from D.S. NKAN to GGS -cum-CTF Kadi in Mehsana oil field in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub section (1) of section 7 of the said Act on 17-11-77.

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of operation of Pipeline from D.S. NKAN to GGS cun CTF Kadi.

Name of Ministry	Villages	S.O.No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination on of operation
Petroleum, Chemicals & Fertilizer	Chalasan Balsasan	1228	14-4-79	17-11-77

[No. 12016/25/79-Prod. I J]

का० आ० 3272—भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाइन (प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के मेहसाना तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि मे बंधन स्थल स० सोभासन-36 से डब्लू० एच० आई० सोभासन-10 तक पेट्रोलियम के लिए भूमि उपयोग के अधिकार प्राप्त किए गए हैं ।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपयुक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (1) की धारा (i) में निर्दिष्ट कार्य दिनांक 9-8-78 से समाप्त कर दिया है ।

अत अब पेट्रोलियम पाईप लाइन के नियम (प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) नियम, 1963 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी एतद द्वारा उक्त तिथि का कार्य समाप्ति का तिथि अधिसूचित करते है ।

अनुसूची

सोभासन-36 से डब्लू० एच० आई० सोभासन 10 तक पाइप लाइन कार्य की समाप्ति

मन्त्रालय का नाम	गाव	का०आ०सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य की समाप्ति की तिथि
पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक	कुकस	1230	14-4-79	9-8-78

[सं० 12016/25/79-प्रोड० I]

हस्ताक्षर (अपठनीय)

गुजरात के लिए नियमान्तर्गत सक्षम प्राधिकारी

S.O. 3272—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from D.S. Sobhasan-36 to WHI Sobhasan-10 in Mehsana oil field in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub section (1) of section 7 of the said Act on 9-8-78.

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of operation of pipeline from D.S. Sobhasan-36 to Sob-10.

Name of Ministry	Villages	S.O.No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Petroleum, Chemicals & Fertilizer	Kukas	1230	14-4-79	9-8-78

[No. 12016/25/79-Prod. I]
Sd/- Illegible,
Competent Authority Under the Act for Gujarat

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1979

का०आ० 3274.—स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ अधिनियम 1966 (1966 का 51) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री रवि राय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री को डा० सुशीला नायर के स्थान पर स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ का अध्यक्ष मनोनीत करती है।

[संख्या वी. 16013/2/79-एम०ई० (पी० जी०)]

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 1st September, 1979

S.O. 3273.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh Act, 1966 (51 of 1966), the Central Government hereby nominates Shri Rabi Ray, Minister of Health and Family Welfare to be the President of the Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, vice Dr. Sushila Nayar.

[No. V. 16013/2/79-ME(PG)]

का० आ० 3274.—यतः केन्द्रीय सरकार ने स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़, अधिनियम, 1966 (1966 का 51) की धारा 5 के खण्ड (ङ) का अनुसरण करते हुए, श्री के० एस० नारंग, मुख्य सचिव, पंजाब सरकार, चंडीगढ़ को श्री पी० एस० पुरी के स्थान पर स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के सदस्य के रूप में मनोनीत किया है।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 5 के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की 30 जून, 1977 की अधिसूचना सं० वी० 17013/1/77 एम० ई० (पी० जी०) में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

"श्री के० एम० नारंग, मुख्य सचिव, पंजाब सरकार, चंडीगढ़।"

[संख्या वी० 16013/2/79-एम० ई० (पी० जी०)]

S.O. 3274.—Whereas the Central Government has, in pursuance of clause (e) of section 5 of the Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh Act, 1966 (51 of 1966), nominated Shri K. S. Narang, Chief Secretary to the Government of Punjab, Chandigarh, to be a member of the Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh vice Shri P. S. Puri.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (e) of section 5 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) No. V. 17013/1/77-ME(PG), dated the 30th June, 1977, namely :—

"3. Shri K S Narang, Chief Secretary, Government of Punjab, Chandigarh.".

[No. V. 16013 2/79-ME(PG)]

का० आ० 3275.—स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ अधिनियम, 1966(1966-का51) की धारा 5 के खण्ड (ङ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री रवि राय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री को श्री राजनारायण, जिन्होंने, इस्तीफा दे दिया, के स्थान पर स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ का सदस्य मनोनीत करती है और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) भारत सरकार की तारीख 30 जून, 1977 की अधिसूचना संख्या सं० वी० 17013/1/77-एम० ई० (पी० जी०) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में मद 1 के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात् :—

"1. श्री रवि राय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री।"

[संख्या वी० 16013/2/79-एम० ई० (पी० जी०)]

प्रकाश चन्द जैन, डेस्क अधिकारी

SO. 3275.—In pursuance of clause (e) of section 5 of the Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh Act, 1966 (51 of 1966), the Central Government hereby nominates Shri Rabi Ray, Minister of Health and Family Welfare, to be a member of the Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh vice Shri Raj Narain resigned and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) No. V. 17013/1/77-ME(PG) dated the 30th June, 1977, namely :—

In the said noification, for item 1, the following item shall be substituted, namely :—

"1. Shri Rabi Ray, Minister of Health and Family Welfare".

[No. V. 16013/2/79-ME(PG)]
P. C. JAIN, Desk Officer

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1979

का० आ० 3276.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद नियम, 1957 के नियम 2 के खण्ड (घ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा डा० एस० नानादेसिकन, निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार, कल्याण विभाग, तमिलनाडु को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के सदस्य का निर्वाचन करने के लिए "चुनाव अधिसूचना" नियुक्त करती है।

[संख्या वी० 11013/27/79-एम० ई० (पी०)]

के० एल० भाटिया, अवर सचिव

(Department of Health)

New Delhi, the 3rd September, 1979

S.O. 3276.—In pursuance of clause (d) of rule 2 of the Indian Medical Council Rules, 1957, the Central Government hereby appoints Dr. S. Gnanadesikan, Director of Medical Education, Health and Family Welfare Department, Tamil Nadu, as 'Returning Officer' for the conduct of election of a member to the Medical Council of India under clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956, 102 of 1956) from the State of Tamil Nadu.

[No. V-11013/27/79-M.E. (Policy)]

K. L. BHATIA, Under Secy.

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1979

परिपत्र

का० आ० 3277.—भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उप खण्ड (2), तारीख 16-6-79 में पृष्ठ 1763-64 पर प्रकाशित भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 2068, तारीख 30 मई, 1979 में,—

16 वीं पंक्ति के नीचे और 'सेरा' से ऊपर निम्नलिखित वाक्य पढ़े :—

सभी वर्ग की जैव और अजैव औषधियां किन्तु जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित वर्गों की औषधियां नहीं है, अर्थात् :—

[सं० एफ० 11014/2/79-डी० एण्ड एम० एस०/पी० एफ० ए०]

जी० पंचापकेशन, अवर सचिव

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1979

का० आ० 3278.—वन्यप्राणी क्षेत्रीय कार्यालय, बम्बई में कार्य कर रहे दो निरीक्षकों को एतद्द्वारा वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 50 के तहत, अधिनियम की उल्लिखित धारा की उप-धारा (2) तथा (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों को छोड़कर, शक्तियों को प्रयोग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :

[संख्या 2-17/79-एफ० आर० वाई० (डब्ल्यू० एल०)]

एन० डी० जयाल, निदेशक, वन्यप्राणी संरक्षण

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 7th August, 1979

S.O. 3278.—Two Inspectors working in the Wildlife Regional Office, Bombay, are hereby authorised to exercise powers under Section 50 of the Wildlife (Protection) Act, 1972, except the powers provided under Sub-Section (2) and (6) of the said Section of the Act.

[No. 2-17/79-FRY(WL)]

N. D. JAYAL, Director, Wildlife Preservation

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1979

का०आ० 3279.—अत. केन्द्रीय सरकार ने खाद्य विभाग, क्षेत्रीय खाद्य निदेशालयों, उपाप्ति निदेशालयों और खाद्य विभाग के वेतन तथा लेखा कार्यालयों द्वारा किए जाने वाले खाद्यान्नों के क्रय, भण्डारकरण, संचलन, परिवहन, वितरण तथा विक्रय के कृत्यों का पालन करना बन्द कर दिया है जो कि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 13 के अधीन भारतीय खाद्य निगम के कृत्य हैं।

और यत. खाद्य विभाग, क्षेत्रीय खाद्य निदेशालयों, उपाप्ति निदेशालयों और खाद्य विभाग के वेतन तथा लेखा कार्यालयों में कार्य कर रहे और ऊपरिवर्णित कृत्यों के पालन में लगे निम्नलिखित अधिकारियों और कर्मचारियों ने केन्द्रीय सरकार के तारीख 16 अप्रैल, 1971 के परिपत्र के प्रत्युत्तर में उसमें विनिर्दिष्ट तारीख के अन्दर भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी न बनने के अपने आशय की उक्त अधिनियम की धारा 12ए की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा यथा अपेक्षित सूचना नहीं दी है।

अत: अब खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) यथा अद्यतन संशोधित की धारा 12ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित कर्मचारियों को प्रत्येक के सामने दी गई तारीख से भारतीय खाद्य निगम में स्थानान्तरित करती है :—

क्रम सं०	अधिकारी/कर्मचारियों का नाम	केन्द्रीय सरकार के अधीन स्थायी पद	स्थानान्तरण के समय केन्द्रीय सरकार के अधीन पद	भारतीय खाद्य निगम को स्थानान्तरण की तारीख
1	2	3	4	5
1.	श्री इर्शाद आलम	तकनीकी सहायक	तकनीकी सहायक	1-3-69
2	श्री के०सी० चुग	कनिष्ठ लिपिक	कनिष्ठ लिपिक	1-3-69
3.	श्री आर०ए० जंगिद	—वही—	गोदाम क्लर्क	1-3-69
4.	श्री आई०के० गोविन्दानी	गोदाम क्लर्क	—वही—	1-3-69
5.	श्री गोपाल सिंह	—वही—	—वही—	1-3-69
6.	श्री सी०बी० सजनानी	—वही—	—वही—	1-3-69
7.	श्री एस०ए० झोरानी	—वही—	—वही—	1-3-69
8.	श्री एच०के० वर्मा	—वही—	—वही—	1-3-69

1	2	3	3	5
9	श्री ए०के० माथुर	गोदाम क्लर्क	गोदाम क्लर्क	1-3-69
10	श्री बी०डी० भारद्वाज	-वही-	-वही-	1-3-69
11	श्री मांगू सिंह	वाचमैन	वाचमैन	1-3-69
12	श्री दुर्गा सिंह	-वही-	डैस्टिंग आपरेटर	1-3-69
13	श्री राम सिंह	-वही-	वाचमैन	1-3-69
14	श्री हरि राम	-वही-	-वही-	1-3-69
15	श्री हेम सिंह	-वही-	-वही-	1-3-69
16.	श्री चिन्तामणि 'बी'	-वही-	-वही-	1-3-69
17.	श्री बहादुर सिंह	-वही-	-वही-	1-3-69
18.	श्री एच०एम० मूलचन्दानी	गोदाम क्लर्क	गोदाम क्लर्क	1-3-69
19	श्री बी०पी० ठुकरानी	—	-वही-	1-3-69
20.	श्री टी०टी० विधानी	—	-वही-	1-3-69
21	श्री भगवान परवानी	—	-वही-	1-3-69
22	श्री टी०एच० मखादरी	—	-वही-	1-3-69
23	श्री डी०टी० होरचन्दानी	गोदाम क्लर्क	गोदाम क्लर्क	1-3-69

[संख्या 52/1/79-एफ०सी० III (वाल्यूम III]

बख्शी राम, उप-सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 31st August, 1979.

S.O. 3279 .—Whereas the Central Government has ceased to perform the functions of purchase, storage, movement, transport distribution and sale of foodgrains done by the Department of Food, the Regional Directorates of Food, the Procurement Directors and the Pay & Accounts Offices of the Department of Food which under Section 13 of Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) are the functions of the Food Corporation of India;

And whereas the following officers and employees serving in the Department of Food, the Regional Directorate of Food, the procurement Directorates and the Pay & Accounts Offices of the Department of Food and engaged in the performance of the functions mentioned above have not, in response to the Circular of the Central Government dated the 16th April, 1971 intimate, within the date specified therein, their intention of not becoming employees of the Food Corporation of India as required by the proviso to sub-Section I of Section 12A of the said Act,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 12A of the Food Corporation Act, 1964 (37 of 1964) as amended upto date the Central Government hereby transfer the following officers and employees to the Food Corporation of India with effect from the date mentioned against each of them.

Sl. No.	Name of the officer/employees	Permanent post held under the Central Govt.	Post held under the Central Govt. at the time of transfer	Date of transfer to the F.C.I.
1	2	3	4	5
1.	Sh. Irshad Alam	Technical Assistant	Technical Assistant	1-3-69
2.	Sh. K.C. Chug	Junior Clerk	Junior Clerk	1-3-69
3.	Sh. R.A. Jangid	—	Godown Clerk	1-3-69
4.	Sh. I.K. Govindani	Godown Clerk	Do.	1-3-69
5.	Sh. Gopal Singh	Do.	Do.	1-3-69
6.	Sh. C.B. Sajanani	Do.	Do.	1-3-69
7.	Sh. S.H. Jhaurani	Do.	Do.	1-3-69
8.	Sh. H.K. Verma	Do.	Do.	1-3-69
9.	Sh. A.K. Mathur	Do.	Do.	1-3-69
10.	Sh. B.D. Bhardwaj	Do.	Do.	1-3-69
11.	Sh. Mangu Singh	Watchman	Watchman	1,3-69
12.	Sh. Durga Singh	Do.	Dusting Operator	1-3-69
13.	Sh. Ram Singh	Do.	Watchman	1-3-69
14.	Sh. Hari Ram	Do.	Do.	1-3-69

15. Sh. Hem Singh	Watchman	Watchman	1-3-69
16. Sh. Chinta-Mani 'B'	Do.	Do.	1-3-69
17. Sh Bahadur Singh	Do.	Do.	1-3-69
18. Sh H.M. Moolchandani	Godown Clerk	Godown Clerk	1-3-69
19. Sh. B.P. Thukrani	—	Do.	1-3-69
20. Sk T.T Dewani	—	Do.	1-3-69
21. Sh. Bhagwan Parwani	—	Do.	1-3-69
22. Sh. T.H. Quadri	—	Do.	1-3-69
23. Sh. D.T. Hotchandani	Godown Clerk	Do.	1-3-69

[No. 52/1/79-FC. III (Vol. III)]

BAKSHI RAM, Dy. Secy.

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1979

(पुरातत्व)

का० आ० 3280—केन्द्रीय सरकार प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि भारत के राजपत्र भाग, 2 खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 2 जुलाई, 1977 के पृष्ठ 2407 पर प्रकाशित भारत सरकार के संस्कृति विभाग (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) की अधिसूचना सं०का०आ० 2210, तारीख 17 जून, 1977 के नीचे विनिर्दिष्ट रीति से शुद्ध किया जाएगा, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना में अनुसूची में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्—

मुरेल खुर्द, जिला रायसेन (म० प्र०) में बौद्ध स्तूपों और अन्य अवशेषों का मानचित्र

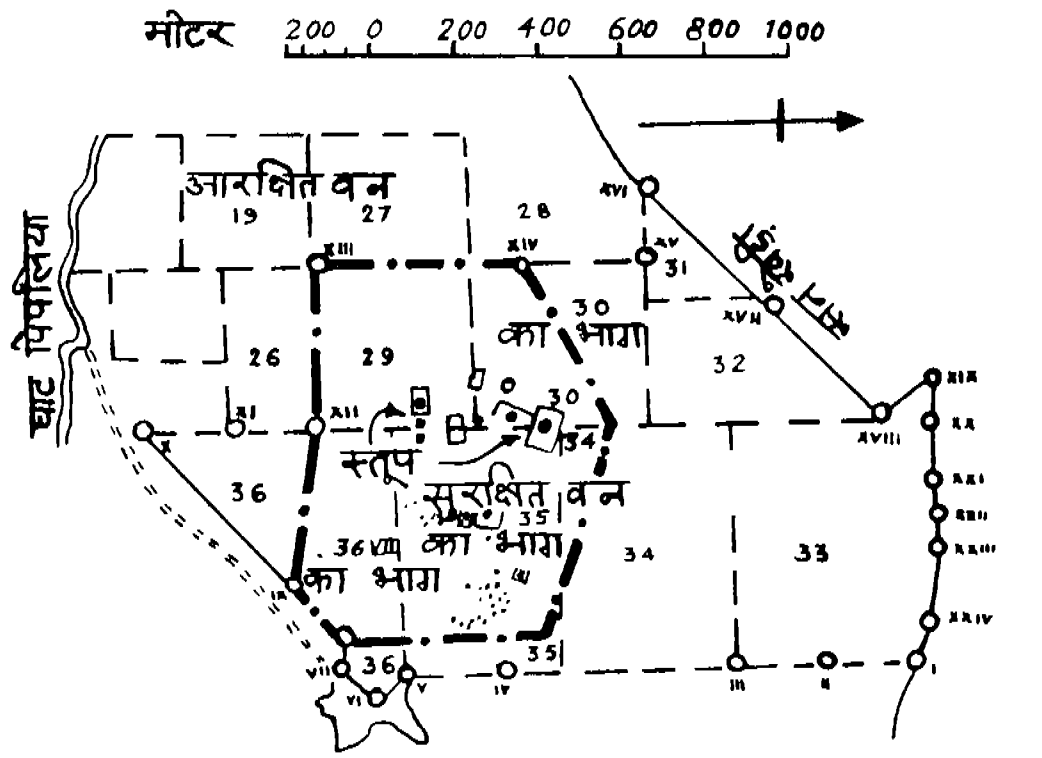

सुरक्षण के लिये प्रस्तावित क्षेत्र

[सं० 2/22/72-एम०]

बाल कृष्ण थापर, महानिदेशक और पदेन संयुक्त सचिव

ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

(Department of Culture)

New Delhi, the 6th September, 1979

(ARCHAEOLOGY)

S.O. 3280.—In exercise of the powers conferred by Section 36 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby directs that the notification of the Government of India in the Department of Culture (Archaeological Survey of India) No. S.O. 2210, dated the 17th June, 1977, published in the Gazette of India, Part II-Section 3, Sub-section (ii) dated the 2nd July, 1977 at pages 2407 and 2408 shall be corrected in the manner specified below, namely :—

In the said notification, to the Schedule, the following shall be added, namely :—

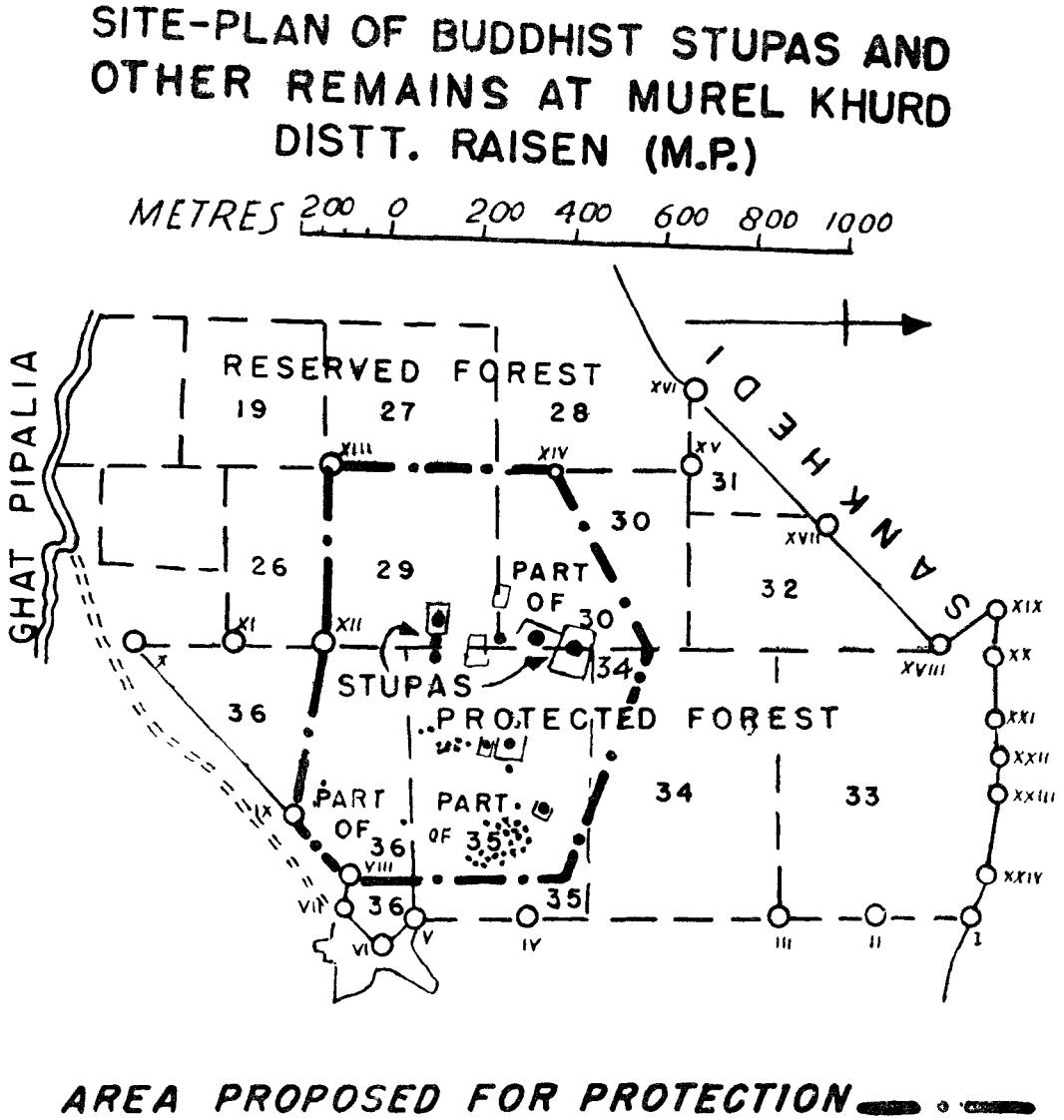

[No. 2/22/72-M]

B. K. THAPAR, Director General and Ex-Officio Joint Secy.

ऊर्जा मंत्रालय

(विद्युत विभाग)

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1979

का० आ० 3281.—केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31), की धारा 80 की उपधारा (5) के अनुसरण में व्यास परियोजना के सघटक का, अर्थात् 220 के० वी० पानीपत-नरेला लाईन सर्कट III का, जिसके सबंध में सन्निर्माण पूरा हो गया है, उक्त अधिनियम की धारा 80 की उपधारा (6) के साथ पठित धारा 79 के अधीन गठित भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड को अन्तरण करती है और यह अन्तरण तुरन्त प्रभावी होगा ।

[पत्र सं० 21/14/76-डी०-III-खण्ड III]

शिप्रा० मण्डल, अवर सचिव

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Power)

New Delhi, the 1st September, 1979

S.O. 3281.—In pursuance of sub-section (5) of Section 80 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby transfers, with immediate effect, the component of the Beas Project, namely 220 KV Panipat Narela Line Circuit No. III, in relation to which the construction has been completed, to the Bhakra Beas Management Board constituted under section 79, read with sub-section (6) of section 80, of the said Act.

[F. No. 21/14/76-D.III-Vol.-III]

SHIPRA MANDAL, Under Secy.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1979

का० आ० 3282.—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (अधिनियम 1957 का 61) की धारा 22 की उपधारा (4) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की भूमि एवं विकास कार्यालय निर्माण एवं आवास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में निर्धारित भूमि के निपटान हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण नियुक्त किया और अब यह भूमि 1982 के एशियाई खेलों के लिए हाकी स्टेडियम बनाने हेतु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित की जाती है।

अनुसूची

संगम सिनेमा के विपरीत सैक्टर-10, रामा कृष्णा पुरम में स्थित साईट सं०-97 की अधिसूचना एस० ओ० 4719 दिनांक 21/8/75 के अन्तर्गत लगभग 28 एकड़ (लगभग 11.3312 हैक्टर) भूमि के भाग को दिखाया गया है। उपर्युक्त भूमि की सीमा का विवरण इस प्रकार है :—

उत्तर : सड़क
दक्षिण : खेल का मैदान और धोबी घाट
पूर्व : सड़क
पश्चिम : सड़क

[सं० एस० एण्ड एम० 33(14)/79-ए०एस०ओ० (I) 565-67]

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 4th September, 1979

S.O. 3282.—In pursuance of the provisions of sub-section (4) of section 22 of the Delhi Development Act, 1957 (Act 61 of 1957), the Delhi Development Authority has replaced at the disposal of the Central Govt. the land described in the schedule below for placing it at the disposal of the Land & Development Office, Ministry of Works & Housing, Government of India, New Delhi for further transfer to the Central Public Works Department for construction of Hockey Stadium for Asian Games, 1982.

SCHEDULE

Piece of land measuring about 28 acres (about 11 3312 Hectares) situated in Sector-X, R. K. Puram, opp. Sangam Cinema, bearing Site No. 97 full of Notification No. S.O. 4719 dated 21-8-75.

The above piece of land is bounded as follows :—

North : Road
South : Play Ground & Dhobi Ghat.
East : Road
West : Road.

[No. S&S 33(14)/79-ASO(I)/565-67]

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1979

का० आ० 3283.—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 की संख्या 61) की धारा 5, उपधारा (2) के खण्ड (बी) के अन्तर्गत प्रशासक/संघ क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा उन्हें उक्त सरकार की अधिसूचना संख्या 18011(28)/67-यूडी दिनांक 14-2-69 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री एम०एस० मेहता, वास्तुविद् दिल्ली नगर निगम के स्थान पर श्री एम०एन० बुच, उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार समिति का सदस्य नामित कर दिए जाने के परिणामस्वरूप सलाहकार समिति के गठन की अधिसूचना एफ० 1(33)/58-जी ए दिनांक 20 अक्तूबर, 1962 में दिल्ली विकास प्राधिकरण एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है :—

क्रम संख्या	मद संख्या	के स्थान पर	प्रतिस्थापित
1	2	3	4
1	(2)	श्री एम० एस० मेहता, वास्तुविद्, दिल्ली नगर निगम।	श्री एम० एन० बुच, उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण।

[सं० सैक्रेटरी/वी एण्ड सी/26/पीटी-II]

हरी राम गोयल, सचिव

New Delhi, the 6th September, 1979

S.O. 3283.—Consequent upon the nomination of Shri M.N. Buch, Vice-Chairman, Delhi Development Authority, made by the Administrator/Lt. Governor Union Territory of Delhi, under clause (b) of sub-section (2) of section 5 of the Delhi Development Act (No. 61 of 1957) while exercising the powers of that Government delegated to him vide notification No. 18011(28)67-UD dated 14-2-69 as member of the Advisory Council of the Delhi Development Authority in place of Shri M S Mehta, Architect, Municipal Corporation of Delhi, the Delhi Development Authority hereby makes the following amendments to the notification No. F. 1(33)/58-6A/dated 20th Oct., 1962 constituting the advisory council, viz.

S. No.	In item No.	For entries	Substitute
1	2	3	4
1	(2)	Shri M.S. Mehta, Architect, Municipal Corporation of Delhi	Shri M.N. Buch, Vice-Ckairman, Delhi Development Authority.

[No. Secy./V & C/26/67-Pt. II]

H. R. GOEL, Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1979

का० आ० 3284 —स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा(क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने पेदाना, पोलावरम, गुडूर टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-10-79 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-7/79-पी० एण्ड० बी०]

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P & T Board)

New Delhi, the 11th September, 1979

S O. 3284.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies 1-10-1979 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Padana, Polavaram and Gudur Telephone Exchange, Andhra Pradesh circle.

[No. 5-7/79-PHB]

का० आ० 3285.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा(क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने कोंडमपडु व प्रत्तिपडु टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-10-79 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-7/79 पी० एण्ड० बी०]
आर० सी० कटारिया, सहायक महानिदेशक

S.O. 3285.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs; hereby specifies 1-10-1979 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Kondrupadu and Pratipadu Telephone Exchange, Andhra Pradesh Circle.

[No. 5-7/79-PHB.]
R. C. KATARIA, Asstt. Director (General)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1979

का० आ० 3286.—राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (2) और (4) के अनुपालन में रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) पश्चिम रेलवे के निम्नलिखित कार्यालयों को, जहां के कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया, अधिसूचित करता है :—

1. मंडल सिगनल और दूर संचार इंजीनियर (निर्माण) का कार्यालय, कोटा
2. वरिष्ठ लेखा अधिकारी (सर्वे और निर्माण) का कार्यालय, कोटा
3. मण्डल लेखा कार्यालय, कोटा
4. इंजीनियर प्रमुख (सर्वे व निर्माण) का कार्यालय, कोटा
5. कार्यालय इंजीनियर (निर्माण) प्रथम—कोटा
6. कार्यालय इंजीनियर (निर्माण) द्वितीय—कोटा
7. निर्माण प्रबंधक (कारखाना) का कार्यालय, कोटा
8. जिला भंडार नियंत्रक (कारखाना) का कार्यालय, कोटा
9. वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कारखाना) का कार्यालय, कोटा
10. मंडल लेखा कार्यालय, रतलाम
11. मंडल लेखा कार्यालय, जयपुर
12. मंडल लेखा कार्यालय अजमेर
13. तकनीकी प्रशिक्षण विद्यालय, अजमेर
14. उप मुख्य लेखा अधिकारी (यातायात) का कार्यालय, अजमेर
15. अपर मुख्य यांत्रिक इंजीनियर (कारखाना) का कार्यालय, अजमेर
16. उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर, (कैरीज) का कार्यालय, अजमेर
17. उप मुख्य लेखा अधिकारी (कारखाना व भण्डार) का कार्यालय, अजमेर
18. जिला बिजली इंजी० (कारखाना) का कार्यालय, अजमेर
19. उप मुख्य भंडार नियंत्रक का कार्यालय, अजमेर
20. मैडीकल सुपरिटेन्डेंट का कार्यालय, अजमेर
21. जिला बिजली इंजी० (प्रोडेक्शन) का कार्यालय, अजमेर
22. क्षेत्रीय प्रशिक्षण विद्यालय, उदयपुर
23. प्रवर लेखा अधिकारी, (इतर यातायात लेखा) का कार्यालय, पश्चिम रेलवे, दिल्ली किशनगंज
24. सुरक्षा अधिकारी का कार्यालय, अजमेर

[सं० हिन्दी-78/रा०भा०-15/7]
के० बालचन्द्रन, सचिव रेलवे बोर्ड एवं
भारत सरकार के पदेन संयुक्त सचिव
वाणी विलास शर्मा, कृते निदेशक, राजभाषा रेलवे, बोर्ड

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 7th September, 1979

S.O. 3286.—In pursuance of Sub-Rule (2) & (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for the Official purposes of the Union) Rules, 1976, the Ministry of Railways (Railway Board) hereby notify the undermentioned Offices of Western Railway, the staff where of have acquired the working knowledge of Hindi :—

1. Office of the Divisional Singal & Tele-Communications Engineer (Const.), Kota.
2. Office of the Senior Accounts Officer (Survey & Const.), Kota.
3. Divisional Accounts Office. Kota.
4. Office of the Chief Engineer (Survey & Const.), Kota.
5. Office of the Engineer (Const.)-I, Kota.
6. Office of the Engineer (Const.)-II, Kota.
7. Office of the Works Manager (Workshop), Kota
8. Office of the District Controller of Stores (Workshop), Kota.
9. Office of the Sr. Accounts Officer (Workshop), Kota.
10. Divisional Accounts Office, Ratlam.
11. Divisional Accounts Office, Jalpur.
12. Divisional Accounts Office, Ajmer.
13. Technical Training School, Ajmer.
14. Office of the Dy. Chief Accounts Officer (Traffic), Ajmer.

15. Office of the Addl. Chief Mechanical Engineer (Workshop), Ajmer.
16. Office of the Dy. Chief Mechnical Engineer (Carriage), Ajmer.
17. Office of the Dy. Chief Acconts Officer (Workshop & Stores), Ajmer.
18. Office of the Dy. Chief Controller of Stores, Ajmer.
19. Office of the District Elecrrical Engineer (Workshop), Ajmer.
20. Office of the Medical Superintendent, Ajmer.
21. Office of the District Electrical Engineer (Production), Ajmer.
22. Zonal Training School, Udaipur.
23. Office of the Sr. Accounts Officer (Foreign Traffic Accounts Office), Western Railway, Delhi Kishanganj.
24. Office of the Security Officer, Ajmer.

[No. Hindi-78/RB-15/7]

K. BALACHANDRAN, Secy. Railway Board

V. V. SHARMA, for Director(OL) Railway Board.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1979

का० आ० 3287 —केन्द्रीय सरकार, खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, और भूतपूर्व श्रम और नियोजन विभाग की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 20, तारीख 26 दिसम्बर, 1963, स० सा० का० नि० 1579, तारीख 19 अक्तूबर, 1965, सं० का० आ० 3920, तारीख 12 सितम्बर, 1969 और स० का० आ० 2136, तारीख 6 जून, 1970 को अधिक्रान्त करते हुए, कोयला खान श्रमिक कल्याण संगठन के निम्नलिखित अधिकारियों को खान निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है, जो मुख्य निरीक्षक के अधीनस्थ होंगे, अर्थात् :—

1. कुमारी एम० माथुर, कल्याण प्रशासक
2. श्री पी० एस० मुर्मू, कल्याण प्रशासक
3. बी० एस० भादूरिया, कल्याण प्रशासक
4. श्री ए० पी० जायसवाल, सहायक कल्याण प्रशासक
5. श्री एच० जी० एल० अग्रवाल, सहायक कल्याण प्रशासक
6. श्री एस० एस० सनीजा, कल्याण निरीक्षक
7. श्री आर० एन० यादव, कल्याण निरीक्षक
8. श्री एन० जे० सिन्हा राय, कल्याण निरीक्षक
9. श्री के० एम० राव, कल्याण निरीक्षक ।

[स० ए-12026/1/78-एम II]
पी० के० सेन, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 31st August, 1979

S.O. 3287.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 5 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952) and in supersession of the notification of the Department of Labour and Employment No. G.S.R. 20 dated the 26th December, 1963, No. G.S.R. 1579 dated the 19th October, 1965, No. S.O. 3820 dated the 12th September, 1969 and No. S.O. 2136 dated the 6th June, 1970, the Central Government hereby appoints the following officers of the Coal Mines Labour Welfare Organisation to be Inspectors of Mines subordinate to the Chief Inspector, namely :—

1. Miss S. Mathur, Welfare Administrator.
2. Shri P. S. Murmu, Welfare, Administrator
3. Shri B. S. Bhaduria, Welfare Administrator.
4. Shri A. P. Jaiswal, Assistant Welfare Administrator.
5. Shri H. G. L. Agarwal, Assistant Welfare Administrator.
6. Shri S. S. Saneeja, Welfare Inspector.
7. Shri R. N. Yadav, Welfare Inspector.
8. Shri N. J. Sinha Roy, Welfare Inspector.
9. Shri K. M. Rao, Welfare Inspector.

[No. A-12026/1/78-M II]
P. K. SEN, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1979

का० आ० 3288 —इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिदिष्ट औद्योगिक विवाद, श्री सी० एल० नरसिंह राव, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के समक्ष लंबित है ;

और श्री सी० एल० नरसिंह राव की सेवाए अब उपलब्ध नही रही हैं;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 33-ख की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 7क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री जी० सदाशिव रेड्डी होंगे और मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त श्री सी० एल० नरसिंह, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के समक्ष लंबित उक्त विवाद से सबद्ध कार्यवाही को वापस लेती है और उसे श्री जी० सदाशिव रेड्डी, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद को इस निदेश के साथ अन्तरित करती है कि उक्त अधिकरण आगे कार्यवाही उस प्रक्रम से करेगा, जिस पर वह उसे अंतरित की गई तथा विधि के अनुसार उसका निपटारा करेगा ।

अनुसूची

केन्द्रीय सरकार के लंबित औद्योगिक विवाद

क्रमांक	औद्योगिक विवाद संख्या	आदेश संख्या और तारीख	पक्षकारों के नाम
1	2	3	4
1.		श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का आदेश सख्या एल-21012/19/79-डी-4 (बी) दिनाक 16-3-1979 ।	सिगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० रामागुंडम डिवीजन 1, गोदावरी खनि, करीमनगर, जिला का प्रबन्धतंत्र और उसके कर्मकार ।
2.		श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का आदेश सख्या एल-21012/21/79-डी-4 (बी), दिनाक 12-3-1979 ।	सिगरेनी कोलियरीज कपनी लि०, रामागुंडम डिवीजन-1, गोदावरी खनि, करीमनगर, जिला के प्रबन्धतंत्र और कर्मकार श्री जी० नारायण ।

[फा० स० 11025/1/79-डी०-4(बी) पार्ट-2)]
शशि भूषण, डेस्क, अधिकारी

New Delhi, the 21st August, 1979

ORDER

S.O. 3288. Whereas, the Industrial disputes specified in the Schedule hereto annexed are pending before Shri C.L. Narasimha Rao, the Presiding Officer, Industrial Tribunal, Hyderabad;

And, Whereas, the services of Shri C.L. Narasimha Rao are no longer available ;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A read with sub-section (1) of the Section 33B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal, the Presiding Officer of which shall be Shri G Sadasiva Reddy, with Headquarters at Hyderabad and withdraws the proceedings in relation to the said disputes pending before the said Shri C.L. Narasimha Rao, Presiding Officer, Industrial Tribunal Hyderabad and transfers the same to Shri, G. Sadasiva Reddy, Presiding Officer, Industrial Tribunal Hyderabad with the direction that the said Tribunal shall proceed with the proceedings from the stage at which they are transferred to it and dispose of the same according to law.

SCHEDULE

Central Government's Industrial Disputes pending

S.N.	I.D. No.	No. and date of the order	Name of the parties
1.		Order No. L. 21012(19)/79-D.IV(B) dt. 16-3-79 from Ministry of Labour, Employment & Rehabilitation, Govt. of India, New Delhi.	Workmen and the Management of Singareni Collieries Company Limited, Ramagundam Div. I Godavari Khani Karimnagar District.
2.		Order No. L. 21012(21)/79-D.IV(B) Dt. 12-3-79 from Ministry of Labour, Employment & Rehabilitation Govt. of India, New Delhi.	Workmen Shri G. Nanyana and the Management of Singareni Collieries Co. Ltd. of Ramagundam Div. I, Godavarikhani, Karimnagar, District.

[F. No. S. 11025(1)/79-D.IV(B)Pt II]

New Delhi, the 7th September, 1979

S.O. 3289.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Khas Kajora Colliery P.O. Kajoragram, Distt. Burdwan and their workmen which was received by the Central Government on 5th September, 1979.

BEFORE SHRI JUSTICE S. K. MUKHERJEE, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CALCUTTA.

Reference No. 91 of 1978

PARTIES :

Employers in relation to the management of Khas Kajora Colliery.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

On behalf of Employers—Shri P. N. Singh, Assistant Chief Personnel Officer.

On behalf of Workmen—Shri P. C. Pandey, the concerned workman.

STATE : West Bengal INDUSTRY : Coal Mine.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by their Order No. L-19012(59)76-D-IV(B)/D III(B) dated 18th November, 1978 referred an industrial dispute existing between the employers in relation to the management of Khas Kajora Colliery and their workmen, to this tribunal, for adjudication. The reference reads :

"Whether the action of the management of Khas Kajora Colliery of Eastern Coalfields Limited, Post Office Kajoragram, District Burdwan in removing Shri P. C. Pandey, an employee of Khas Kajora Colliery, from service with effect from 24th April, 1975 from justified ? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?"

2. The parties duly filed their pleadings. Thereafter the case was fixed for hearing on August 27,1979. At the hearing the parties jointly filed a Memorandum of Settlement by which they sought to dispose of the Reference. I have gone through the terms of Settlement and am of opinion that the terms are fair and reasonable. A copy of the said Memorandum of Settlement is annexed hereto as a part of this Award.

3. In the result, I make my award in terms of the Memorandum of Settlement referred to above.

S. K. Mukherjee, Presiding Officer.

Dated, August 27, 1979.

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA.

Reference No. 91 of 1978

PARTIES :

Employers in relation to the management of Khas Kajora colliery P.O. Kajoragram Dt. Burdwan.

AND

Their workmen

The employer and the workmen in the above reference jointly beg to state that by mutual discussion held between the parties, they have agreed to settle the dispute which is the subject matter of the above reference on the following terms without any prejudice to the respective contentions made by the parties in their written statements.

1. It has been agreed by employer that the concerned workman Sri P. C. Pandey will be re-instated in his former job and he will be posted anywhere in Kajora Area of the Company where the management may find suitable and such posting will be accepted by the concerned workman.

2. That the concerned workman will be paid 50 per cent of his wages and other dues which he could have earned had he been employed for the period of his non-employment reckoned from the date of his removal from service and the date of re-instatement and the concerned workman will not be able to claim any other payment for the said period.

3. That the aforesaid period of his non-employment will be treated as special leave with above said 50 per cent wages and the same will count towards the continuity of his service for payment of gratuity, annual increment etc.

4. That the settlement of the above case on the aforesaid terms will enable the parties to maintnainn harmonious industrial relation and the parties therefore most humbly pray that Hon'ble Tribunal will be pleased to grant necessary

permission for settlement of the dispute in terms recorded above and to pass an award by treating this petition as a part thereof.

For workman

For Employers
(Sd. illegible)

Witnesses :

1. (Sd. illegible)
2. (Sd. illegible)

[No. L-19012/59/76.D.III(B)/D.IV(B)]
SHASHI BHUSHAN, Desk Officer

आदेश

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1979

का० आ० 3290—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में, भारतीय खाद्य निगम की मार्डन राइस मिल, नेल्लूर के प्रबन्धतंत्र से सबद्ध नियोजकों और उसके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7 क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री जी० सदाशिव रेड्डी होंगे और मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या भारतीय खाद्य निगम की मार्डर्न राइस मिल, नेल्लूर के कर्मकारों की निम्नलिखित मांगे न्यायोचित है ? यदि हां, तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?

1. निम्नलिखित 22 कर्मचारियों को स्थायी प्रास्थिति अनुदत्त करना :—

(1) एम० कोलहापुरी
(2) स्वर्ण रमईया
(3) जे० फ्रांसिस
(4) ई० वेंकुरेड्डी
(5) शैख मस्तान
(6) जी० रमनम्म
(7) जे० वेंकम्मा
(8) शैख बाशा
(9) शैख पेडा मस्तान
(10) एम० चंद्रम्मा
(11) शेख नाने साहेब
(12) एन० कोटैइया
(13) एल० वेंकैइया
(14) शेख मस्तान (नरुकुरु)
(15) शैख मौला साहब
(16) पट्टन मस्तान
(17) जी० डेविड
(18) शैख कालेशा
(19) एस० च० हनुमन्ना
(20) वी० वैंकइया
(21) दस्तगिरी बाणा
(22) राजू

2 मजदूरी दर को बढ़ाकर 7 00 रुपये प्रतिदिन करना ।

3 प्रत्येक कर्मकार को प्रत्येक वर्ष 15 दिन की बीमारी छुट्टी देना ।

4. प्रत्येक कर्मकार को प्रत्येक वर्ष खाकी वर्दी के दो जोड़े सप्लाई करना ।

[संख्या एल-42011(22)/78-डी० 2 (बी)]

ORDER

New Delhi the 22nd August, 1979

S.O. 3290.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of the Modern Rice Mill of the Food Corporation of India, Nellore and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri G. Sadasiva Reddy shall be the Presiding Officer with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the under mentioned demands of the workmen of the Modern Rice Mill of the Food Corporation of India, Nellore, are justified ? If so, to what relief are the workmen entitled ?

1. Grant off permanent status to the 22 workers whose names are listed below :—

(i) M. Kolhapuri
(ii) Swarna Ramaiah
(iii) J. Francis
(iv) E. Venkuredy
(v) Shaik Mastan
(vi) G. Ramanamma
(vii) J. Venkamma
(viii) Shaik Basha
(ix) Shaik Peda Mastan
(x) M. Chandramma
(xi) Shaik Nanne Saheb
(xii) N. Kotaiah
(xiii) L. Venkaiah
(xiv) Shaik Mastan (Narukuru)
(xv) Shaik Moula Saheb
(xvi) Pattan Mastan
(xvii) G. David
(xviii) Shaik Kalesha
(xix) S. Ch. Hanumanna
(xx) V. Venkaiah
(xxi) Dastagirl Basha
(xxii) Raju.

(2) Enhancement of daily rates of wages to Rs. 7.00 per day.

(3) Grant of 15 days' sick leave to each worker every year.

(4) Supply of 2 pairs of Khaki Uninforms to each worker every year.

[No. L-42011(22)/78-D.II(B)]

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1979

का० आ० 3291.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 2949, ता० 23-9-1978, के अनुक्रम में, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के केन्द्रीय भण्डार और पूर्ति प्रभाग, दिल्ली के नियमित कर्मचारियों को 1 अक्तूबर, 1978 से 30 सितम्बर, 1979 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से एक वर्ष की और अवधि के लिए छूट देती है ।

2. पूर्वोक्त छूट की शर्तें निम्नलिखित हैं, अर्थात् :—

(1) पूर्वोक्त कारखाना, जिसमें कर्मचारी नियोजित है, एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदाभिधान दिखाए जाएंगे ।

(2) इस छूट के होते हुए भी, कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी सुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे, जिनको पाने के लिए वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व संदत्त अभिदायों के आधार पर हकदार हो जाते ।

(3) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिदाय पहले ही किए जा चुके हों तो वे वापिस नहीं किए जाएंगे ।

(4) उक्त कारखाने का नियोजन, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तनमान था (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अवधि" कहा गया है), ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी ।

(5) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी —

(i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ; या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथाअपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं; या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को, जिनके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं, या

(iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबंधों का अनुपालन किया गया था या नहीं,

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा,—

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदाधारी आवश्यक समझता है; या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी व्यक्ति से अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसी लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करे और उनकी परीक्षा करने दे, या उन्हें ऐसी जानकारी दे जिसे वे आवश्यक समझते हैं; या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजन की, उसके अभिकर्ता या सेवक की या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय अन्य परिसरों में पाया जाए, या ऐसी किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना;

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण लेना ।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले में पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देनी आवश्यक हो गई है क्योंकि छूट के लिए प्राप्त आवेदन-पत्र की कार्रवाई पर समय लगा । तथापि यह प्रमाणित किया जाता है कि जिन परिस्थितियों में कारखाने के कर्मकारों को आरंभ में छूट दी गई थी वे अभी भी विद्यमान हैं और छूट के लिए पात्र हैं । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देने से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

[सं० एस-38014/3/79-एच० आई०)]

New Delhi, the 7th September, 1979

S.O. 3291.—In exercise of the powers conferred by section 88 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 2449 dated the 23rd September, 1978, the Central Government hereby exempts regular employees of the Central Stores and Supply Division, Delhi, belonging to the National Seeds Corporation Limited, New Delhi from the operation of said Act for a further period of one year with effect from the 1st October, 1978 upto and inclusive of the 30th September, 1979.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The aforesaid factory wherein the employees are employed shall maintain a register showing the names and designations of the exempted employees.

(2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates.

(3) The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refunded.

(4) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter refrerred to as the said period) such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950.

(5) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of Section 45 of the said Act, or other Official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any returns submitted under sub-section (1) of Section 44 for the said period ; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period ; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under the notification ; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory ;

be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant or any person found in such factory, establishment, office or other premises, or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case as the processing of application for exemption took time. However, it is certified that the conditions under which the employees of the factory were innitially granted exemption still persist and they are eligible for exemption. It is also certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

[No. S. 38014/3/79-HI]

का०आ० 3292.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 919, तारीख 18 मार्च 1978 के अनुक्रम में राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंग्रहालय परिषद्, कलकत्ता के विश्वेश्वरैया औद्योगिक और प्रौद्योगिक संग्रहालय बंगलौर के स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से पहली जुलाई, 1978 से 30 जून, 1979 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए छूट देती है।

2. पूर्वोक्त छूट की शर्तें निम्नलिखित हैं, अर्थात् :—

(1) पूर्वोक्त प्रतिष्ठान जिसमें कर्मचारी नियोजित है, एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदाभिधान दिखाए जाएंगे ;

(2) इस छूट के होते हुए भी, कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे, जिनको पाने के लिए वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व संदत्त अभिदायों के आधार पर हकदार हो जाते ;

(3) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिदाय पहले ही किए जा चुके हों तो वे वापिस नहीं किए जाएंगे ;

(4) उक्त प्रतिष्ठान का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस प्रतिष्ठान पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अवधि" कहा गया है), ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थीं ;

(5) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी—

(i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी कम विशिष्टयों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ ; या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा-अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं ; या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को, जिसके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं ; या

(iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान जब उक्त प्रतिष्ठान के सम्बन्ध में अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं,

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा,—

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है ; या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी व्यक्ति से अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबन्धित ऐसी लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दे, या उन्हें ऐसी जानकारी दे जिसे वे आवश्यक समझते है ; या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक की, उसके अभिकर्ता या सेवक की या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय अन्य परिसरों में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण लेना।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले में पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देनी आवश्यक हो गई है क्योंकि छूट के लिए प्राप्त आवेदन-पत्र की कार्यवाई पर समय लगा। तथापि यह प्रमाणित किया जाता है कि जिन परिस्थितियों में कर्मकारों को प्रारम्भ

मे छूट दी गई थी वे अभी भी विद्यमान है और वे छूट के पात्र हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देने से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा।

[सं० एस-38014/39/78 एच०आई०]

S.O. 3292.—In exercise of the powers conferred by section 88 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 919 dated the 18th March, 1978 so far as it related to the permanent and temporary employees of Visveshwaraya Industrial and Technological Museum, Bangalore belonging to the National Council of Science Museum, Calcutta, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of the said Act for a further period of one year with effect from the 1st July, 1978 upto and inclusive of the 30th June, 1979.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The aforesaid establishment wherein the employees are employed shall maintain a register showing the name and designations of the exempted employees.

(2) Notwithstanding the exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates.

(3) The contributions of the exempted period, if already paid, shall not be refunded.

(4) The employer of the said establishment shall submit in respect of the period during which that establishment was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period undner the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950.

(5) Any inspector appointed by the corporation under sub-section (1) of Section 45 of the said Act, or other Official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of Section 44 for the said period ; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period ; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which ememption is being granted under this notification ; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said establishment ;

be empowered to—

(a) require the prinicipal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises, or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employees ; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the processing of the application for exemption took time. However, it is certified that the conditions under which the exemption was originally granted still persist and the employees are eligible for exemption. It is also certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

[No. S-38014/39/78-HI]

का० आ० 3293.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ओसवाल ऑयल रिफाइनरी (मद्रास) यूनिट, 17, कौचराने बेसिन रोड, मद्रास-21, नाम स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 अगस्त, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019/(149)/79-पी०एफ० 2]

S.O. 3293.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Oswal Oil Refinery (Madras) Unit, 17, Cochrane Basin Road, Madras-21, have agreed that the Provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of August, 1978.

[No. S-35019/(149)/79-PF.II]

का० आ० 3294.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री बालासुब्रमणियम एंड कम्पनी, फर्म, शिवसुब्रमणियम स्ट्रीट, अरुप्पुकोट्टाई रामनाड, नाम स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 मार्च, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019/(153)/79-पी०एफ० 2]

S.O. 3294.—Whereas it appears to the Central Government that the empployer and the majority of the empployees in relation to the establishment known as Messrs. Sri Balasubramaniam and Company, Firm, Sivasubramaniam Street, Aruppukottai, Ramnad, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore,, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of March, 1977.

[No. S. 35019/(153)/79-PF II]

का०आ० 3295 —केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एलिनजीकुप्पम कोआपरेटिव मिल्क सप्लाई सोसाइटी लिमिटेड, एलिनजीकुप्पम, उत्तरी आर्काट जिला, नाम स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 सितम्बर, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एम० 35019/(154)/79-पी० एफ० 2(i)]

S.O. 3295.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Alinjikuppam Co-operative Milk Supply Society Limited, Alinjikuppam, North Arcot District, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of September, 1975.

[No. S. 35019/(154)/79-PF. II(i)]

का०आ० 3296 —केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात्, 1 सितम्बर, 1975 से मैसर्स एलिनजीकुप्पम कोआपरेटिव मिल्क सप्लाई सोसाइटी लिमिटेड, एलिनजीकुप्पम, उत्तरी आर्काट जिला, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[फा० सं० म—35019(154)79—पी०एफ० 2(ii)]

S.O. 3296.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of September, 1975 the establishment known as Messrs. Alinjikuppam Co-operative Milk Supply Society Limited, Alinjikuppam, North Arcot District, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019(1554)/79-PF.II(ii)]

का०आ० 3297 —केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कुम्बा आर०एम०एन० श्रीनिवासन एंड संस, नं० 91-ए, सन्नाधी स्ट्रीट, तीरुवूनम, कुम्बाकोणम तालुक, नाम स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है, कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 मार्च 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एम० 35019(155)79—पी० एफ० 2]

S.O. 3297.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the empployees in relation to the establishment known as Messrs Kumba Rm. N. Srinivasan and Sons, No. 91-A, Sannadhi Street, Thirubuvanam, Kumbakonam Taluk, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of March, 1976.

[No. S 35019(155)/79-PF II]

का०आ० 3298 —केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स डारमलिंगम सिल्कस-2ए, सुन्दरा मुदली स्ट्रीट, कोसापलायम, एर्नी-632301 नाम स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एम० 35019/162/79—पी०एफ० 2]

S.O. 3298.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Darmalingam Silks, 2A Sundara Mudali Street, Kosapalayam, Arni-632301 have agreed that the provisions of the Employees Proviednt Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1976.

[No. S. 35019/(162)/79-PF II]

का०आ० 3299 —केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स दि तीरूचिराप्पली कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, 104-ए, सलाई रोड, ओराईचूर, त्रिची-3 नाम स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 दिसम्बर, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019(166)79-पीएफ 2]
हंस राज छाबड़ा, उप सचिव

S.O. 3299.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs, the Tiruchirappalli Co-operative Marketing Society 104-A, Salai Road, Woraiyur, Trichy-3, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of December, 1976.

[No. S.35019(166)/79-PF.II]
HANS RAJ CHHABRA, Dy. Secy.

New Delhi, the 13th September, 1979

S.O. 3300.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunall No. 1, Dhanbad in respect of complaint under Section 33A of the said Act filed by Shri Biswesh Chandra against his retransfer from Dhanbad to Bhagalpur Branch during the pendency of the reference No. 90 of 1977, which was received by the Central Government on the 24th August, 1979.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1, AT DHANBAD.

In the matter of a Complaint under Sec. 33A of the I. D. Act.

Complaint No. 1 of 1978

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Bank of Baroda.

AND

Their workmen.

PRESENT :

Shri S. N. Johri, B.Sc., LL.M., Presiding Officer.

APPEARANCES :

For the Employers : Shri L. N. Basak, Personnel Officer.

For the Workmen : None.

STATE : Bihar INDUSTRY : Bank.

AWARD

This is a Complaint filed on behalf of the workman Shri Biswesh Chandra against his retransfer from Dhanbad to Bhagalpur Branch during the pendency of the Reference No. 90 of 1977.

2. The fact of the case in brief are that Sri Biswesh Chandra a subordinate Class IV Staff posted at Dhanbad branch of Bank of Baroda was transferred to Bhagalpur Branch with effect from 15-2-77. He joined on 7-6-77. Thereafter considering his represenation about the condition of his wife, he was again temporarily transferred to Dhanbad Branch for a period of one month on compassionate grounds and on his further representation the said period was extended from time to time till October 1977, afer which he was transferred back to Bhagalpur Branch. He had raised a dispute about his initial transfer to Bhagalpur and that reference was pending before this Tribunal.

3. The Complaint is that his transfer back to Bhagalpur Branch during the pendency of the said reference amounted to change in the terms and conditions of his service during the pendency of the reference and should therefore be set aside In fact the complainant who had been able to temporarily come back to Dhanbad on compassionate grounds wants to nullify the initial order of transfer to Bhagalpur Branch, when it has been held in the award given in the said reference on 27-2-79 that the transfer was within the terms and conditions of the service. It was neither that malafide nor amounted to victimisation. The Complainant thus wants to nullify the effect of the award so given by this Tribunal. There is no evidence to show that his transfer back to Bhagalpur Branch where he had been substantively posted involved any change of terms and conditions of his service, much less to the prejudice of the concerned workman. As such the complaint has no legs to stand. Award is given accordingly.

Jabalpur, dated, the 12th August, 1979

S N. JOHRI, Presiding Officer.

[No. L-12012|52|77-D.II.A]
S. K. MUKERJEE, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979